उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्याः 2792/77-6-18-एल.सी.03/18
लखनऊ : दिनांक 16 जुलाई, 2018

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय "उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018" प्रख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018, अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से 05 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

संख्याः 2792 (1)/77-6-18-एल.सी.03/2018 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र.।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्ध निदेशक, पिकप/उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम।
7. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी, माल एवेन्यू, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत नीति उद्योग बन्धु की वेब-साइट पर आज ही अपलोड कराते हुए 150 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
10. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
11. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(अंकित कुमार अग्रवाल)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018

1. प्रस्तावना

गत तीन वर्षों (2014-15 से 2016-17) में सकल घरेलू उत्पाद में निरन्तर 7 प्रतिशत् की वृद्धि दर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने विश्व में अग्रणी स्थान बना रखा है। वृहद् जनसांख्कीय लाभ से पोषित भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे गतिमान अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र इस आर्थिक प्रगति का प्रमुख आधार है, जो भारत को विश्वस्तरीय मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है।

राजस्व के सन्दर्भ में रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र का वैश्विक बाजार रु. 64 लाख करोड़ का होने का अनुमान है (2016), जिससे 20 लाख लोगों को रोज़गार प्राप्त हुआ है। विश्व में भारतीय थल सेना, तीसरी सबसे बड़ी थल-सेना है, जबकि वायु-सेना चौथे एवं नौसेना सातवें स्थान पर है। भारत विश्व में रक्षा उत्पादों का पांचवाँ सबसे बड़ा क्रेता (SIPRI 2017- Stockholm International Peace Research Institute)होने के कारण रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण का एक महत्वपूर्ण बाजार है।

तलिका 1 – भारत का रक्षा व्यय

वर्ष	व्यय(रुपये करोड़ में)
2012-13	181805
2013-14	203515
2014-15	222365
2015-16	246740
2016-17	249080
2017-18 (बजट प्राक्कलन)	347750

स्रोतः रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं आई.डी.एस.ए. (1 यूएसडी=रु.65)

भारत के रक्षा बाजार में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट में भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय हेतु रु. 3.6 लाख करोड़ का आवंटन किया है जो वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के मध्य रक्षा बजट में 5 प्रतिशत की वृद्धि है। वर्ष 2017-18 के रक्षा बजट में पूंजीगत व्यय का अंश लगभग 33 प्रतिशत् था। स्पष्ट है कि भारत की रक्षा- उत्पाद आवश्यकताओं की अधिकांश पूर्ति आयात पर निर्भर है, अतः इस क्षेत्र में आयात के प्रतिस्थापन की वृहद सम्भावना है। वर्तमान पूंजीगत क्रय आवश्यकताओं के आधार पर ऐसी सम्भावना है कि भारतीय रक्षा ऑफ-सेट बाजार में आगामी कुछ वर्षों में गुणोत्तर वृद्धि हो सकती है।

इस अवसर का लाभ उठाने हेतु भारत सरकार द्वारा रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (Defence Procurement Procedure)2016 निर्गत की गयी है, जिसमें सुरक्षा (Security) में स्वावलम्बन प्राप्त करने के सन्दर्भ में दो मौलिक नीतियों, यथा- 'स्वदेशीकरण' एवं 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन' पर बल दिया गया है।

स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने हेतु एक नई श्रेणी- 'भारतीय आई.डी.डी.एम. क्रय'(Buy Indian IDDM) ('इण्डियन डिज़ाइण्ड डेवलप्ड एण्ड मैन्युफैक्चर्ड'-आई.डी.डी.एम.) को अधिकतम वरीय मार्ग (Preferred route) के रूप में सम्मिलित किया गया है। रक्षा परियोजनाओं के विकास के लिए उद्योग वित्त-पोषण को सक्षम करने हेतु मेक-।।(Make-II) का एक अन्य प्राविधान भी सम्मिलित किया गया है।

मेक-। और मेक-।। परियोजनाएं क्रमशः रु. 10 करोड़ तथा रु. 3 करोड़ के पूंजीगत उद्व्यय (Capital Outlay) के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए आरक्षित हैं। एक अन्य पहल में रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2016 के अन्तर्गत रक्षा ऑफ-सेट नीति में ऑफ-सेट की अर्हता की प्रारम्भिक सीमा (Threshold) को रु. 300 करोड़ से बढ़ा कर रु. 2000 करोड़ कर दिया गया है, जिससे विदेशी मौलिक उपकरण निर्माताओं की बाधाओं का निराकरण हो सके तथा ऑफ-सेट रूट के माध्यम से उच्च तकनीक को प्राप्त करने हेतु रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को प्रोत्साहित किया जा सके।

रक्षा क्षेत्र में सरकार के माध्यम से 100 प्रतिशत्प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा 49 प्रतिशत्प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वतः मार्ग (Automatic route)से अनुमन्य होने के पश्चात् पूरे विश्व का ध्यान इस ओर गया है। हाल के वर्षों में भारत से रक्षा निर्यात में वृद्धि हुई है। रक्षा-उत्पाद निर्यात की दृष्टि से रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों(DPSUs) आयुध फैक्ट्रियों तथा (अनापत्ति निर्गत होने के आधार पर) निजी क्षेत्र से वर्ष 2012-13 में रु. 461 करोड़ का निर्यात बढ़ कर वर्ष 2016-17 में रु. 1105 करोड़ (अनंतिम) हो गया।

रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण पर केन्द्रित नीतियों के फलस्वरूप आशातीत परिणाम मिल रहे हैं, रक्षा मंत्रालय ने गत 2 वर्षों में भारत में निर्मित कई रक्षा उत्पादों का अनावरण किया है। भारत में इस क्षेत्र में लाइसेन्स प्रदान करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए उसे और पारदर्शी बनाया गया है। इसलिए कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक स्वीकृतियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वर्ष 2001 से 2014 के मध्य की 13 वर्षों की अवधि में कुल 214 लाइसेन्सों की तुलना में वर्ष 2014 से 2016 के मध्य कुल 119 लाइसेन्स निर्गत किये गये हैं।

हाल ही में भारत सरकार द्वारा रक्षा विनिर्माण हेतु क्रमशः उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन गलियारों (Defence Industrial Production Corridors) की घोषणा की गई है। भारत सरकार के 'मेक इन इण्डिया' कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति-2017 एवं औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति-2017 घोषित की गयी है, जिससे राज्य में इस क्षेत्र में मांग तथा निवेश में वृद्धि सम्भावित है।

राज्य सरकार रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र के सयंत्रों, उपकरणों व सह-उत्पादों के विनिर्माण हेतु अनुकूल पारिस्थिकी तंत्र के सृजन हेतु कृत संकल्प है।

2. उत्तर प्रदेश-लाभ की स्थिति

उत्तर प्रदेश, भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य तथा तीसरी सबसे बड़ी अर्थ-व्यवस्था है। देश की 16.5 प्रतिशत् जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, भारत के शीर्ष के पाँच विनिर्माण राज्यों में से एक है तथा भारत में

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। विगत पाँच वर्षों (2012-17) में राज्य से निर्यात 13.26 प्रतिशत् सी.ए.जी.आर. (Compound Annual Growth Rate) दर्ज किया गया है।

2.1 उच्च-स्तरीय अवस्थापना सुविधाएं

रणनीतिक रूप से स्वर्णिम चतुष्कोण (Golden Quadrilateral) पर स्थित, प्रदेश देश के प्रमुख राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से जुड़ा हुआ है। राज्य में 8,949 किलोमीटर में फैला हुआ देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। गाजियाबाद में दादरी से मुम्बई के जवाहरलाल नेहरू बन्दरगाह तक विकसित हो रहे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर-डब्ल्यू.डी.एफ.सी.(Western Dedicated Freight Corridor-WDFC) से बन्दरगाह तक परिवहन-समय में कमी होगी, जिससे राज्य में आर्थिक गतिविधि को गति मिलेगी।

इसी प्रकार, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर-ई.डी.एफ.सी.(Eastern Dedicated Freight Corridor-EDFC) परियोजना का 57 प्रतिशत् आच्छादित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है जो पूर्वी क्षेत्र को पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ता है। इन दोनों फ्रेट कॉरीडोर्स का जंक्शन दादरी, गाजियाबाद में होने के कारण लॉजिस्टिक्स एवं वेअरहाउसिंग क्षेत्र में प्रदेश अत्यंत लाभ की स्थिति में है। ई.डी.एफ.सी. तथा डब्ल्यू.डी.एफ.सी. के समानान्तर विकसित हो रहे दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर (डी.एम.आई.सी.) तथा अमृतसर-कोलकता इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर (ए.के.आई.सी.) से आच्छादित क्षेत्र का बड़ा भाग उत्तर प्रदेश में है। डब्ल्यू.डी.एफ.सी. एवं ई.डी.एफ.सी. परियोजनाओं का प्रदेश के हित में अधिकतम लाभ अर्जित करने हेतु राज्य सरकार इन कॉरीडोर्स से सटे नगरों, यथा- ग्रेटर नोएडा, इलाहाबाद, व कानपुर आदि में इंटीग्रेटेड मैन्यूफक्चरिंग क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक्स तथा इंटीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल टाउनशिप्स के विकास को प्रोत्साहित कर रही है।

उत्तर प्रदेश में विद्यमान लॉजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाओं में, मुरादाबाद में रेल से जुड़े संयुक्त घरेलू एवं एक्ज़िम (निर्यात-आयात) टर्मिनल, कानपुर में रेल से जुड़े प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल एवं अन्तरदेशीय कन्टेनर डिपो-आई.सी.डी.(Inland Container Depot - ICD)तथा दादरी टर्मिनल स्थित आई.सी.डी. व कानपुर आई.सी.डी. सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में नोएडा, बोड़ाकी तथा वाराणसी में भी तीन मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स/ट्रॉंसपोर्ट हब प्रस्तावित हैं। कानपुर, नोएडा, वाराणसी व गाज़ियाबाद जैसे प्रमुख निवेश केन्द्रों के अतिरिक्त दादरी-नोएडा-गाज़ियाबाद निवेश क्षेत्र, मेरठ-मुज़फ्फरनगर निवेश क्षेत्र, दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय)-वाराणसी-मिर्ज़ापुर जैसे नवीन निवेश क्षेत्र भी विकसित हो रहे हैं।

प्रदेश के कनेक्टीविटी नेटवर्क में पूर्व से विकसित एवं विकसित हो रहे एक्सप्रेसवे, यथा- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे आदि; 4 लेन तथा 6 लेन के राजकीय राजमार्ग; राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डे; इलाहाबाद, वाराणसी तथा हल्दिया बन्दरगाह

को जोड़ने वाले राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW 1)के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार वायु, जल एवं रेल कनेक्टीविटी सुविधाओं के नेटवर्क का सृजन करेगी, जिससे राज्य की औद्योगिक एवं मैन्यूफैकचरिंग इकाइयों को परिवहन के विभिन्न माध्यमों से अपने उत्पादों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँचाने हेतु उत्कृष्ट व सुचारू सुविधाएं सुलभ हो सकेंगी। लखनऊ, कानपुर, मेरठ तथा वाराणसी में स्थापित होने वाली मल्टी-सिटी मेट्रो रेल परियोजनाएं तथा जेवर एवं कुशीनगर में विकसित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डों के कारण प्रदेश के कनेक्टीविटी तंत्र के लाभ की स्थिति के और अधिक सुदृढ़ होने की सम्भावना है।

2.2 रक्षा औद्योगिक गलियारा/डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर (Defence Industrial Corridor)

माह फरवरी 2018 में आयोजित यूपी इन्वेस्टर्स समिट में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से डिफेन्स कॉरीडोर के विकास की घोषणा की गई थी। अनुमान है कि इस कॉरीडोर के निर्माण से एक लाख से अधिक रोज़गार अवसरों का सृजन होगा। प्रस्तावित गलियारे में 6 नोड, यथा- अलीगढ़, आगरा, झाँसी, चित्रकूट, कानपुर एवं लखनऊ होंगे। प्रस्तावित गलियारे हेतु राज्य सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लगभग 3,000 हेक्टेअर भूमि अधिसूचित की जाएगी।

इन जिलों में डिफेन्स मैन्यूफैक्चरिंग की आवश्यकताओं को पूर्ण करने तथा कच्चे माल, श्रम आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ सहायक आधार विद्यमान है। डी.एम.आई.सी. तथा ए.के.आई.सी. के निकट होने के कारण कॉरीडोर विशेष लाभ की स्थिति में है। इसके अतिरिक्त, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे तथा प्रस्तावित पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे से कॉरीडोर को कनेटिविटी का लाभ उपलब्ध होगा।

2.3 विद्यमान विनिर्माण आधार

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में अनेक इकाइयां हैं जो रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र के उत्पादों का विनिर्माण करती हैं। स्थानीय स्रोतों से सामग्री एवं आवश्यक पुर्जों की अधिप्राप्ति (Procurement)करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयां राज्य के सुदृढ़ स्थानीय बाजार का प्रमुख आधार हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख ईकाइयों में 9 भारतीय आयुध कारखाने तथा 3 हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) की विनिर्माण इकाइयां सम्मिलित हैं।

तालिका-2: उत्तर प्रदेश में स्थित आयुध कारखाने	
मुरादनगर, गाजियाबाद स्थित आयुध कारखाना	सादा कार्बन (Plain carbon)तथा टैंक, गोला-बारूद(Ammunition), स्टील फोर्जिंग हेतु मिश्रित धातु स्टील कास्टिंग
कानपुर स्थित आयुध कारखाना	मध्यम एवं उच्च क्षमता वाली बन्दूकें, खाली खोल(Shell empties)
कानपुर स्थित लघु शस्त्र कारखाना	लघु शस्त्र(Small arms)
कानपुर स्थित फील्ड गन फैक्ट्री	उच्च क्षमता(Calibre) के आयुध एवं स्पेयर

	बैरल, .32" रिवॉल्वर
कानपुर स्थित आयुध उपकरण फैक्ट्री	चमड़ा उत्पादों, कपड़ा उत्पादों, पर्वतारोहण उपकरण सहित इंजीनियरिंग उपकरण
कानपुर स्थित आयुध पैराशूट फैक्ट्री	विभिन्न प्रकार के पैराशूट
शाहजहाँपुर स्थित आयुध कपड़ा फैक्ट्री	युद्ध हेतु कपड़े तथा कपड़ा एवं टेण्ट आइटम्स
हज़रतपुर-टुण्डला स्थित आयुध उपकरण फैक्ट्री	टेण्ट एवं अन्य वस्त्र निर्मित आइटमूस
कोरवॉ स्थित आयुध फैक्ट्री	कार्बाइन के उत्पादन हेतु (परियोजना स्तर पर)

तालिका-3: उत्तर प्रदेश में स्थित हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. की प्रमुख विनिर्माण इकाइयां	
कानपुर स्थित एच.ए.एल. ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीज़न	घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों हेतु हल्के परिवहन विमान तथा ट्रेनर विमान के निर्माण, रख-रखाव, अनुरक्षण, उच्चीकरण में मूलभूत (Core)क्षमता। यह डिवीज़न विमान के रख-रखाव, अनुरक्षण तथा ओवरहॉल(Overhaul)भी करता है। यह मानव रहित वायु वाहन (Unmanned Arial Vehicles-UAVs)के इंजनों तथा हाइड्रोलिक सिस्टम की सर्विसिंग करता है।
लखनऊ स्थित एच.ए.एल. सहायक डिवीज़न	हाइड्रॉलिक्स,इंजन ईंधन, एयर कंडीशनिंग एवं प्रेशराइजेशन, फ्लाइट कंट्रोल, व्हील एवं ब्रेक, जाइरो(Gyro)एवं बैरोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल पावर जेनरेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, अंडरकैरियेजेस (Undercarriages), ऑक्सीजन एवं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ईंधन कंटेंट गेज इत्यादि का विनिर्माण।
कोरवा स्थित एच.ए.एल. एविऑनिक्स डिवीज़न	मिग-27एम अपग्रेड, मिराज-2000, एलसीए(LCA), जगुआर अपग्रेड, एजेटी-हॉक एयरक्राफ्ट पर लगाए गये विभिन्न एविओनिक्स प्रणालियों के लिए विनिर्माण तथाअनुरक्षण की सुविधा

उपरोक्त सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों के अतिरिक्त निजी क्षेत्र की भी कई इकाइयां राज्य में रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में टेकनिकल टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग उत्पादों व पुर्जों आदि के विनिर्माण में संलग्न हैं।

2.4 अनुसंधान एवं विकास (Research & Development – R & D)पारिस्थिकी तंत्र

उत्तर प्रदेश में विविध शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान हैं, जो अनुसंधान एवं विकासमें संलग्न हैं। राज्य में 53 विश्वविद्यालय, 4,345 कॉलेज, 168 पॉलिटेक्निक्स है, जिनमें अनेक शोध संस्थान, उत्कृष्टता केन्द्र(Centres of Excellence) एवं अन्य व्यावसायिक संस्थान हैं। राज्य आईआईटी कानपुर, बीएचयू आईआईटी जैसे विशिष्ट संस्थानों का गढ़ हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)के मैटिरियल्स एण्ड स्टोर आर एण्ड डी इस्टैब्लिशमेंट (DMSRDE), तथा एच.ए.एल. इत्यादि जैसे प्रमुख संस्थान उत्तर प्रदेश में रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र हेतु उत्तम अनुसंधान एवं विकास पारिस्थिकी तंत्र उपलब्ध कराते हैं।

एच.ए.एल. के अन्तर्गत लखनऊ में स्थित एयरोस्पेस सिस्टम एण्ड इक्यूपमेंट आर एण्ड डी सेंटर (ASERDC) है, जो स्टेट-ऑफ-द-आर्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके विमान, हेलीकॉप्टर तथा

इंजन के लिए आवश्यक सभी प्रमुख प्रणालियों और उपकरणों हेतु व्यावहारिक अनुसंधान (Applied Research), डिज़ाइन एवं विकास में कार्यरत् है। कोरवा स्थित एच.ए.एल. के अन्तर्गत एयरोस्पेस सिस्टम एण्ड इक्यूप्मेंट आर एण्ड डी सेंटर (ASERDC) में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स तथा अन्य एवियोनिक एलआरयूज़ (Avionic LRUs) का विकास किया जाता है।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में लखनऊ एवं आगरा में फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज़ स्थित हैं, जिनके अन्तर्गत 7 प्रभागों (Divisions) के माध्यम से यू.पी. पुलिस को आधुनिक तकनीकों एवं उपकरणों से सहायता प्रदान की जा रही है।

2.5 उत्तर प्रदेश में उपलब्ध अवसर

उत्कृष्ट अवस्थापना सुविधाओं एवं अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के साथ इस नीति का आशय रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र के निम्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है-

- **डिफेन्स पार्क**-कानपुर तथा अन्य जिलों, जैसे-झाँसी, आगरा, लखनऊ आदि में
- **रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (Defence PSUs)का विस्तारीकरण अथवा सहभागिता**
- **एयरोस्पेस पार्क**-लखनऊ तथा अन्य जिलों, जैसे-कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर आदि में
- **परीक्षण सुविधाओं (Testing Facilities)का विकास**- तोपखाने (Artillery) तथा अन्य सैन्य शस्त्रों हेतु
- **ड्रोन विनिर्माण एवं परिक्षण सुविधाएं**
- **वायुयान/ हेलिकॉप्टर विनिर्माण/ एसेम्बलिंग इकाइयां (Assembling Units)**
- **सेना हेतु ऑटो से संबंधित उपकरण/पुर्ज़े तथा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग**
- **पुलिस आधुनिकीकरण**
- **इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाएं (IT/ ITeS) केन्द्र**-आगरा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, नोण्डा आदि में।
- **इंजीनियरिंग केन्द्र**-अलीगढ़ में धातु परिशुद्धता कार्य (Metal precision work), आगरा में ढलाईखाना (Foundry) इत्यादि।
- **चमड़ा, वस्त्र विनिर्माण केन्द्र**-कानपुर एवं आगरा में रक्षा क्षेत्र हेतु टेकनिकल वस्त्रों का विकास।

3. नीति के सम्बन्ध में

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर की स्थापना की घोषणा के सन्दर्भ में इस नीति का ध्येय राज्य में रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना है। यह नीति राज्य की औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2017 के दृग्विषय(Vision)तथा उद्देश्यों को क्षेत्र-केन्द्रित रूप से आगे बढ़ाते हुए

राज्य की नागरिक उड्डयन नीति-2017 तथा उ.प्र. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2017 का अनुपूरण करती है। आकर्षक प्रोत्साहनों से सुसज्जित, यह नीति आगामी पाँच वर्षों में राज्य में रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करती है।

3.1 नीति के उद्देश्य

1. उत्तर प्रदेश को रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र हेतु सर्वोत्तम गंतव्यके रूप में स्थापित करना।
2. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्रों के लिए निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन।
3. बाजार के अंतर को कम करने तथा रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु राज्य में सहायक इकाइयों को उनसे जोड़ना।
4. डिफेन्स कॉरीडोर के समानान्तर रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्लस्टर्स की स्थापना को प्रोत्साहन।
5. रक्षा क्षेत्र में निर्यातोन्मुख विनिर्माण आधार का विकास।
6. एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण परियोजनाओं के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों (DPSUs)/ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (OFB) को राज्य में आकर्षित करना।
7. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में अनुषांगिक/ सहायक उद्योग को प्रोत्साहन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास।
8. रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना तथा निरंतर प्रौद्योगिकी उन्नयन सुनिश्चित करना।
9. आगामी 5 वर्षों में डिफेन्स कॉरीडोर में कम से कम 2 विश्वस्तरीय परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास (R & D) सुविधाओं का विकास करना।
10. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में कौशल विकास को प्रोत्साहित करना।

3.2 लक्ष्य

1. आगामी 5 वर्षों की अवधि में रु. 50,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना।
2. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में 2.5 लाख रोज़गारों का सृजन करना।

3.3 परिभाषाएं

1. **रक्षा तथा एयरोस्पेस उत्पादः** यह निर्धारित करने के लिए कि कोई उत्पाद/ तकनीक रक्षा तथा/ अथवा एयरोस्पेस की श्रेणी में है, भारत सरकार की किसी भी नीति, योजना अथवा किसी अन्य संबंधित प्रलेखों में सम्मिलित प्राविधानों/ परिभाषाओं अथवा विदेशों में अधिकृत समकक्ष प्राविधानों को सन्दर्भित किया जाएगा।
2. **रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयांः** रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र की मूल्य-श्रंखला (Value chain) में उपर्यक्त परिभाषित रक्षा तथा एयरोस्पेस उत्पादों का विनिर्माण करने वाले समस्त

आपूर्तिकर्ताओं को इस नीति के अन्तर्गत रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई माना गया है। इस नीति में परिभाषित मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां, एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां, वेण्डररक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) इकाइयां इस नीति के अधीनरक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों के रूप में प्रोत्साहन की पात्र होंगी।

3. **मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां:** ऐसी वैश्विक अथवा भारतीय मौलिक उपकरण निर्माता (Original Equipment Manufacturers - OEMs) कम्पनियां, जो रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण प्लेटफार्म को डिज़ाइन एवं निर्माण करती हों तथा उनके द्वारा रु. 1000 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश किया गया हो।

कम्पनी द्वारा रक्षा मंत्रालय अथवा गृह मंत्रालय (भारत सरकार) अथवा विदेशों में उनके समकक्ष अधिकृत संस्था अथवा सिविल एयरोस्पेस निर्माता/ आपूर्तिकर्ता अथवा मेंटेनेंस, रिपेयर एण्ड ओवरहॉल-एम.आर.ओ. (Maintenance, Repair & Overhaul – MRO) इकाई को अपने तैयार उत्पादों के मूल्य के न्यूनतम 25 प्रतिशत् की आपूर्ति की जा रही हो अथवा कम्पनी के पक्ष मेंके न्यूनतम रु. 50 करोड़ के रक्षा उत्पादों की पूर्ति के आदेश हो ।

नोट -इस नीति में परिभाषित एंकर डी एंड ए इकाइयों पर लागू सभी प्रोत्साहन मेगा एंकर डी एंड ए इकाइयों पर भी लागू होंगे।

4. **एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां:** ऐसी वैश्विक अथवा भारतीय मौलिक उपकरण निर्माता (Original Equipment Manufacturers - OEMs) कम्पनियां, जो रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण प्लेटफार्म्स को डिज़ाइन एवं निर्माण करती हों तथा उनके द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों में निवेश किया गया हो-

निवेश क्षेत्र	**पात्रता का मानदण्ड**
बुंदेलखण्ड एवं पूर्वांचल क्षेत्र	रु.200 करोड़ से अधिक निवेश अथवा न्यूनतम 1000 प्रत्यक्ष रोज़गार सृजन
मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद को छोड़कर)	रु.300 करोड़ से अधिक निवेश अथवा न्यूनतम 1500 प्रत्यक्ष रोज़गार सृजन
गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद	रु.400 करोड़ से अधिक निवेश अथवा न्यूनतम 2000 प्रत्यक्ष रोज़गार सृजन

कम्पनी द्वारा रक्षा मंत्रालय अथवा गृह मंत्रालय (भारत सरकार) अथवा विदेशों में उनके समकक्ष अधिकृत संस्था अथवा सिविल एयरोस्पेस निर्माता/ आपूर्तिकर्ता अथवा मेंटेनेंस, रिपेयर एण्ड ओवरहॉल-एम.आर.ओ. (Maintenance, Repair & Overhaul – MRO) इकाई को अपने तैयार उत्पादों के मूल्य के न्यूनतम 25 प्रतिशत् की आपूर्ति की जा रही हो अथवा कम्पनी के पक्ष में के न्यूनतम रु. 30 करोड़ के रक्षा उत्पादों की पूर्ति के आदेश हों।

'अथवा'

एक आपूर्तिकर्ता एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई के रूप में अर्हता प्राप्त करेगा, यदि विनिर्माण के परिणामस्वरूप प्राप्त कारोबार (Turnover)का न्यूनतम 50 प्रतिशत् अंश रक्षा तथा एयरोस्पेस मूल्य श्रृंखला में मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई अथवा अन्य एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई के लिए आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्जित किया गया हो।

5.**वेण्डर(Vendor) रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां:** ऐसी इकाइयां, जो उसी क्लस्टर में स्थित हों जिसमें एंकर यूनिट कार्यरत् हो एवं अपने अन्तिम उत्पाद का न्यूनतम 40 प्रतिशत् एंकर इकाई को आपूर्ति करती हों।

6. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई) इकाइयां: भारत सरकार द्वारा एम.एस.एम.ई अधिनियम 2006 के अन्तर्गत एम.एस.एम.ई. हेतु निर्धारित एम.एस.एम.ई परिभाषा का पालन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में समय-समय पर एम.एस.एम.ई की संशोधित परिभाषा स्वतः संशोधित मानी जायेगी।

एक एम.एस.एम.ई. रक्षा तथा एयरोस्पेस आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करेगा, यदि विनिर्माण के परिणामस्वरूप प्राप्त कारोबार (Turnover) का न्यूनतम 50 प्रतिशत् अंश रक्षा तथा एयरोस्पेस मूल्य-श्रृंखला में मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई या एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई या वेण्डर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई या रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई/ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (OFB) के लिए आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्जित किया गया हो।

7. सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयां (डिफेन्स पब्लिक सेक्टर यूनिट्स)/ ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (OFB): रक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम।

4. निजी रक्षा तथा एयरोस्पेस पार्क

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में, विशेष रूप से सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र वाले क्षेत्रों में, रक्षा तथा एयरोस्पेस पार्कों को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करेगी। इन पार्कों में 'प्लग-एंड-प्ले' औद्योगिक अवस्थापना सुविधा होगी, जिससे कम्पनियां अपने मुख्य व्यापार पर ध्यान केन्द्रित कर सकें।

इन पार्कों में निम्नलिखित सुविधाएं होगी:

1. विनिर्माण क्षेत्र (कम्पोनेण्ट्स, सब-कम्पोनेण्ट्स, सब-एसेम्बलीज़, एयरोस्पेस पार्ट्स) एवं विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एस.ई.जेड.)
2. परीक्षण केन्द्र
3. हार्डवेयर/एम्बेडेड प्रौद्योगिकी केन्द्र
4. प्रौद्योगिकी नवाचार केन्द्र
5. हाउसिंग एवं कॉमन सुविधा केन्द्र

इस हेतु उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में निजी रक्षा तथा एयरोस्पेस पार्कों को निजी औद्योगिक पार्कों के समानसुविधाएं प्रदान करेगी । (**सन्दर्भः** उ.प्र. औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2017 का अनुच्छेद 3.2.3)

5. डिफेन्स कॉरीडोर में निवेश करने वाली इकाइयों हेतु प्रोत्साहन

5.1 राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में डिफेन्स कॉरीडोर हेतु अधिसूचित क्षेत्र में भूमि के क्रय करने पर ही प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जाएंगे। इस प्रकार की अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत की जाएगी।

5.2 इस नीति में परिभाषित एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों को डिफेन्स कॉरीडोर में भूमि की प्रचलित सर्किल दर अथवा क्रय मूल्य में से जो भी कम हो, की लागत के 25 प्रतिशत् तक की प्रतिपूर्ति।

6. रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों हेतु प्रोत्साहन

6.1 परिवहन प्रभार पर छूट-

6.1.1 **प्लाण्ट व मशीनरी के परिवहन पर**-आयातित उपकरणों एवं प्लाण्ट व मशीनरी को लॉजिस्टिक पार्क/ट्रान्सपोर्ट हब तथा हार्बर/पोर्ट से प्रदेश में स्थित उत्पादन स्थल पर ले जाने हेतु एंकररक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां परिवहन लागत के 50 प्रतिशत् परिवहन उपादान की पात्र होंगी, जिसकी समेकित अधिकतम सीमा रु. 2 करोड़ होगी।

यह उपादान रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों द्वारा उपकरणों के परिवहन पर उन परियोजनाओं हेतु लागू होगा, जिनके अनुबन्ध का मूल्य रु.50 करोड़ अथवा उससे अधिक हो, यह उपादानप्रथम वर्ष के उत्पादन के प्रारम्भ की तिथि तक ही प्रदान किया जाएगा।

6.1.2 **तैयार उत्पादों के परिवहन पर**-तैयार उत्पाद को प्रदेश में स्थित इकाई से लॉजिस्टिक पार्क/ट्रान्सपोर्ट हब, हार्बर/पोर्ट तक ले जाने हेतु एंकररक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तिथिसे 5 वर्ष की अवधि तक परिवहन लागत के 30 प्रतिशत् परिवहन उपादान की पात्र होंगी, जिसकी प्रतिवर्ष अधिकतम सीमा रु.1 करोड़ होगी।

6.2 **उत्प्रवाह उपचार संयंत्र (Effluent Treatment Plant-ETP)की स्थापना हेतु उपादान**-एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों द्वारा स्थापित की गए उत्प्रवाह उपचार संयंत्र की लागत की 20 प्रतिशत् प्रतिपूर्ति रु.1 करोड़ की अधिकतम सीमा तक की जायेगी।

6.3 **प्रौद्योगिकी हस्तानान्तरण (Tech Transfer) उपादान**-एंकर इकाइयों को एक ही क्लस्टर में स्थितप्रत्येक वेण्डर इकाई हेतु अधिकतम रु.50 लाख की सीमा तक प्रथम 5 विक्रताओं को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की लागत की 75 प्रतिशत् की प्रतिपूर्ति तथा तत्पश्चात् अगले 5 वेण्डर्स को 50 प्रतिशत् की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

7. अनुसंधान एवं विकास तथा परीक्षण सुविधा हेतु सहायता

7.1 **डिफेन्स कॉरीडोर के अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास अथवा परीक्षण सुविधा की स्थापना हेतु**- रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई द्वारा इस प्रकार की सुविधा की स्थापना हेतु लिये गये ऋण पर प्रतिवर्ष 50 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष हेतु ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसकी प्रति इकाई अधिकतम सीमा रु.2 करोड़ होगी, प्रतिबन्ध यह होगा कि-

- रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई के पास रक्षा मंत्रालय/गृह मंत्रालय/समकक्ष विदेशी सरकारों/सिविल एयरोस्पेस आपूर्तिकर्ता से अथवा मेंटेनेंस, रिपेयर एण्ड ओवरहॉल-एम.आर.ओ. सुविधा का न्यूनतम रु. 5 करोड़ का प्रत्यक्ष आपूर्ति आदेश होना चाहिए।

'अथवा'

- रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई द्वारा एक ऐसे निर्माता को सेवाएं प्रदान की जा रही हों, जिसके पास रक्षा मंत्रालय/गृह मंत्रालय/समकक्ष विदेशी सरकारों/नागरिक एयरोस्पेस आपूर्तिकर्ता से अथवा एम. आर.ओ. सुविधा का न्यूनतम रु. 50 करोड़ का आपूर्ति आदेश हो।

नोट- इकाई द्वारा संचालन प्रारम्भ होने के 2 वर्ष के भीतर समस्त मानदण्ड पूर्ण कर लिए जाने चाहिए।

7.2 **सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों(Defence PSUs)/ ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (OFB) में सार्वजनिक परीक्षण (Common Testing) तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का उपयोग करने हेतु**-रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों में सार्वजनिक परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का उपयोग करने हेतु भुगतान किए गए प्रभार/ शुल्क के 50 प्रतिशत् की प्रतिपूर्ति प्रति इकाई प्रतिवर्ष अधिकतम रु. 5 लाख तक की जाएगी, समस्त इकाइयों को देय प्रतिपूर्ति की वार्षिक अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपये होगी।

7.3 **नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहनः** उत्तर प्रदेश सरकार रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यू.पी. स्टार्ट-अप नीति 2017 के अन्तर्गत बनाए गए स्टार्ट अप फंड का उपयोग करेगी। इस संदर्भ में राज्य सरकार आईआईटी-कानपुर, बीएचयू-आईआईटी इत्यादि जैसे प्रतिष्ठित नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों के साथ सहभागिता भी करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के आईडीईएक्स (iDEX)एवं अन्य ऐसी पहलों के साथ अपने अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार प्रयासों को संरेखित करेगी।

8. बाजार का विकास(Building Market)

इस नीति के अन्तर्गत पात्र एम.एस.एम.ई. इकाइयां अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों में प्रतिभागिता लागत के50 प्रतिशत् की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होंगी, जिसकी अधिकतम सीमा रु. 5 लाख प्रति प्रदर्शनी/मेला होगी। यह सुविधा अधिकतम 10 एम.एस.एम.ई. इकाइयों को दी जायेगी। एक इकाई को यह प्रोत्साहन वर्ष में एक ही बार प्रदान किया जायेगा।

9. क्षमता विकास(Capacity Building)

9.1 **विद्यमान कौशल प्रशिक्षण आधार का सुदृढ़ीकरण**–जहाँ व्यवहारिक होगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर शासकीय आई.टी.आई. तथा पॉलीटेकनिक्स से विचार-विमर्श के उपरान्त रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र हेतु विशिष्ट रूप से निर्मित पाठ्यक्रम (Customised courses) प्रारम्भ करवाए जाएंगे।

9.2 **शैक्षिक समझौते** (Academic Tie-up)-उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा तथा अनुसंधान एवं विकास संस्कृति को बढ़ाने हेतु रक्षा तथा एयरोस्पेस प्रशिक्षण तथा अनुसंधान में उत्कृष्टता वाले विश्वविद्यालयों (भारत और विदेशों में) को राज्य के विश्वविद्यालयों से शैक्षिक समझौते करने हेतु प्रोत्साहित करेगी।

10. **पेटेंट लागत/ गुणवत्ता प्रमाणन(Patent Cost/ Quality Certification)**

उत्तर प्रदेश सरकार पेटेंट पंजीकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किए गये व्ययों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

10.1 **पेटेंट शुल्क प्रतिपूर्ति**–प्रदेश मे स्थापित रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों को घरेलू पेटेंट पंजीकरण के लिए पेटेंट शुल्क के 100 प्रतिशत्तथा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट पंजीकरण के लिए पेटेंट शुल्क के 50 प्रतिशत् तक प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति इकाई रु. 25 लाख तकहोगी, समस्त इकाइयों को देय प्रतिपूर्ति की वार्षिक अधिकतम सीमा रु. 1 करोड़ होगी। यह प्रतिपूर्ति केवल पेटेंट प्राप्त होने के बाद ही की जाएगी।

10.2 **गुणवत्ता प्रमाणन**- उत्तर प्रदेश सरकार गुणवत्ता प्रमाणन यथा ए.एस. 9100 सीरीज़, एन.ए.डी.सी.पी. प्राप्त करने हेतु इस नीति में परिभाषित एम.एस.एम.ई. इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। प्रत्येक प्रमाण पत्र के लिए प्रमाणन शुल्क का 100 प्रतिशत्, प्रति इकाई अधिकतम रु.1 लाख प्रतिवर्ष प्रतिपूर्ति की जायेगी, समस्त इकाइयों को देय प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा रु.20लाख प्रति वर्ष होगी।

10.3 **ट्रेडमार्क पंजीकरण**- समस्त पात्र रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण इकाइयों को ट्रेडमार्क पंजीकरण आवेदन शुल्क की पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति की जायेगी, प्रति इकाई अधिकतम रु.1 लाख प्रतिवर्ष प्रतिपूर्ति की जायेगी, समस्त इकाइयों को देय प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा रु.10लाख प्रति वर्ष होगी।

11. व्यवसाय में सहजता (Ease of Doing Business)

राज्य की औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति-2017 की परिकल्पना एवं लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए यह नीति प्रदेश में व्यापार की सुगमता को भी सुनिश्चित करती है।

11.1 **सिंगल विण्डो**- राज्य सरकार द्वारा रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण विनिर्माण इकाइयों को सभी वांछित अनुमोदन एवं स्वीकृतियां, मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में सिंगल विण्डो प्रणाली के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे।

11.2 **प्रोत्साहनों का एकमुश्त भुगतान**- इस नीति के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति व छूट आदि के रूप में दिये जाने वाले समस्त प्रोत्साहनों का भुगतान एक स्वीकृति-पत्र एवं एक लेखाशीर्षक के माध्यम से नोडल एजेन्सी द्वारा किये जायेगे।

11.3 **प्रक्रियाओं का सरलीकरण**-इस नीति का उद्देश्य विद्यमान नियामक व्यवस्था तथा सरलीकृत प्रक्रियाओं को स्व-प्रमाणीकरण, मानित अनुमोदन(Deemed Approval)एवं तृतीयपक्ष के प्रमाणीकरण के माध्यम से युक्तिसंगत बनाना है।

11.4 **श्रम अनुमतियां**- उत्तर प्रदेश सरकार रक्षा तथा एयरोस्पेस उद्योगको संबंधित कानूनों के आधीनलचीली रोज़गार शर्तें, काम के घण्टे एवं महिलाओं हेतु 3-पाली (शिफ्ट) तथा संविदीय आधार पर श्रमिकों की भर्ती हेतु अनुमति प्रदान करेगी।

11.5 **गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति**-उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति-2017 में प्राविधानों के अनुसार रक्षा तथा एयरोस्पेस उद्योग को 24/7 विश्वसनीय, गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है।

11.6 **औद्योगिक सुरक्षा**-उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में सुरिक्षत एवं भयमुक्त औद्योगिक वातावरण प्रदान करेगी। इस हेतु विशिष्ट अधिकारी के आधीन औद्योगिक क्लस्टर/क्षेत्र में समर्पित पुलिस बल की तैनाती की जायेगी तथा एकीकृत पुलिस-सह-अग्निशमन केन्द्र भी स्थापित किये जायेंगे।

12. नीति का क्रियान्वयन

12.1 यह नीति, अधिसूचना की तिथि से प्रभावी हो जायेगी तथा 05 वर्ष की अवधि हेतु लागू रहेगी।

12.2 यदि किसी दशा में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें नीति में किसी भी संशोधन या अतिक्रमण की आवश्यकता होती है तो केवल मा. मंत्रि परिषद इस प्रकार के संशोधन/अतिक्रमण के अनुमोदन हेतु अधिकृत होगी।

12.3 इस नीति में किसी भी संशोधन के प्रकरण में, यदि राज्य सरकार द्वारा किसी भी इकाई को प्रोत्साहनों का कोई पैकेज पूर्व में ही स्वीकृत किया गया है तो उसे वापस नहीं लिया जायेगा, इकाई लाभ की पात्र बनी रहेगी।

नोट

1. सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों/ ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (ओ.एफ.बी.) को अपनी सुविधाओं (परीक्षण सुविधाएं, प्रयोगशालाएं, सहायक सुविधाएं एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु सुविधाएं, यथा-कर्मियों हेतु आवास इत्यादि) के निर्माण हेतु रियायती दर पर पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की जाएगी।
2. इस नीति में उल्लेखित उपदानों के अतिरिक्त मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों को **केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहन** प्रदान किए जाएंगे।

3. इस नीति के अन्तर्गत परिभाषित समस्त पात्र रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों को प्रतिपूर्ति, उपादान, छूट आदि के रूप में प्रदान किए जाने वाले समस्त प्रोत्साहनों की अधिकतम सीमा निम्न श्रेणियों में प्रदान की जाएगी, जिनकी प्रतिवर्ष अधिकतम सीमा कुल स्थाई पूंजी निवेश की 15 प्रतिशत् अधिकतम 10 वर्षों हेतु होगी -

- पूर्वान्चल एवं बुंदेलखण्ड क्षेत्र में किए गए स्थाई पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत,
- मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपद छोड़कर) क्षेत्र में किए गए स्थाई पूंजी निवेश के 90 प्रतिशत
- गौतमबुद्ध एवं गाजियाबाद जनपदों में किए गए स्थाई पूंजी निवेश के 80 प्रतिशत

4. समस्त प्रोत्साहन नयी रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों के साथ-साथ विस्तारीकरण/ विविधीकरण करने वाली परियोजनाओं को भी अनुमन्य होंगे, जो कि नयी रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों की भांति निवेश मानदण्डों को पूर्ण करती हों।

5. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा इस नीति के अन्तर्गत जिन रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों को पात्र पाया जाता है, केवल उन्हीं इकाइयों को इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

6. किसी भी अन्य नीति अथवा राज्य एवं केंद्र सरकार के विभागों द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहनों से लाभ प्राप्त करने वाली रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां भी इस नीति में उल्लिखित प्रोत्साहनों/लाभों का लाभ उठाने की पात्र होंगी, बशर्ते समान प्रकार के लाभ/प्रोत्साहनों का लाभ अन्य किसी नीति से प्राप्त नहीं किया जा रहा हो।

7. "विस्तारीकरण/विविधीकरण् का तात्पर्य है जहाँ वर्तमान औद्योगिक उपक्रम नये पूँजी निवेश द्वारा अपने ग्रॉस ब्लॉक में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करता है।"

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–6
संख्याः 976 /77–6–2019–एल0सी0 03/2018
लखनऊः दिनांकः 05 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 के प्रस्तर–12.2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त नीति को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नीति बनाई जाती हैः–

उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति (प्रथम संशोधन), 2019

उद्देश्य– उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 में संशोधन इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि इस क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के अग्रेतर प्रेरक के रूप में प्रोन्नति/समुत्थान व क्षेत्र के विकास के साथ–साथ यह संशोधन उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करायेगा ।

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1(1). यह नीति **उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति (प्रथम संशोधन) 2019 कही जायेगी।**

(2). यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

मूल नीति के प्रस्तरों का प्रतिस्थापन

2 उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 में, जिसे आगे मूल नीति कहा गया गया है, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान प्रस्तर के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया प्रस्तर रख दिया जायेगा, अर्थात :–

मूल नीति का प्रस्तर संख्या	स्तम्भ–1 विद्यमान प्रस्तर	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर
2.5	**2.5 उत्तर प्रदेश–लाभ की स्थिति** **उत्तर प्रदेश में उपलब्ध अवसर–** उत्कृष्ट अवस्थापना सुविधाओं एवं अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के साथ इस नीति का आशय रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र के निम्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है–	**2.5 उत्तर प्रदेश में उपलब्ध अवसर:–** उत्कृष्ट अवस्थापना, सुविधाओं एवं अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के साथ इस नीति का आशय रक्षा तथा एयरोस्पेस के निम्नलिखित क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है :–
	1. **डिफेन्स पार्क**–कानपुर तथा अन्य जिलों, जैसे झाँसी, आगरा, लखनऊ आदि में	1. डिफेन्स रक्षा तकनीकी पार्क, जो रक्षा गलियारा नोड यथा कानपुर, झाँसी, अलीगढ़, चित्रकूट, आगरा तथा लखनऊ आदि व उनका अन्य जनपदों में विस्तार ।
	2. रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (Defence PSUs)का विस्तारीकरण अथवा सहभागिता।	2. रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (Defence PSUs)का विस्तारीकरण अथवा सहभागिता।
	3. **एयरोस्पेस पार्क**–लखनऊ तथा अन्य जिलों, जैसे–कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर आदि में	3. डिफेन्स कॉरिडोर नोड जैसे कानपुर, झाँसी, अलीगढ़, चित्रकूट, आगरा तथा लखनऊ व अन्य जनपदों में इसके विस्तार की संभावना के साथ एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना ।
	4. **परीक्षण सुविधाओं (Testing Facilities)का विकास**– तोपखाने (Artillery)तथा अन्य सैन्य शस्त्रों हेतु	4. परीक्षण व प्रमाणीकरण केन्द्रों की स्थापना, जिसमें तोपखाने के लिए फॉयरिंग रेंज व अन्य सैन्य शस्त्र/उपस्कर हेतु फॉयरिंग रेंज को समाहित करते हुये परीक्षण व प्रमाणीकरण केन्द्र की स्थापना व विकास ।
	5. **ड्रोन विनिर्माण एवं परिक्षण सुविधाएं**	5.UAV/ड्रोन के प्रारूपों का विकास विनिर्माण व परीक्षण सुविधायें ।
	6- **वायुयान/हेलिकॉप्टर विनिर्माण /एसेम्बलिंग इकाइयां (Assembling Units)**	6. हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर का विनिर्माण अथवा उनके संयोजन (Assembling) व रख–रखाव की सुविधायें।
	7. **सेना हेतु ऑटो से संबंधित उपकरण/ पुर्ज़े तथा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग**	7. रक्षा/सैन्य/एयरोस्पेस सम्बन्धी यांत्रिक वाहनों उनके कलपुर्जो का संयुक्तीकरण और आनुषांगिक इकाईयों की स्थापना ।
	8. **पुलिस आधुनिकीकरण**	8. पुलिस के आधुनिकीकरण व लघु तीव्रता के संघर्षो में उपयोग आने वाले उपकरण हथियार व संस्पर्शी (sensor)उपस्कर आदि का निर्माण।

	9. **इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी /सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाएं (IT/ITeS)केन्द्र–** आगरा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, नोण्डा आदि में।	9. **इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी / सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाएं (IT/ITeS)केन्द्र–** आगरा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, नोएडा आदि में।
	10. **इंजीनियरिंग केन्द्र**–अलीगढ़ में धातु परिशुद्धता कार्य (Metalprecision work), आगरा में ढलाईखाना (Foundry) इत्यादि।	10. **इंजीनियरिंग केन्द्र**–अलीगढ़ में धातु परिशुद्धता कार्य (Metal precision work), आगरा में ढलाईखाना (Foundry) इत्यादि।
	11. **चमड़ा, वस्त्र विनिर्माण केन्द्र** –कानपुर एवं आगरा में रक्षा क्षेत्र हेतु टेकनिकल वस्त्रों का विकास।	11. रक्षा एवं एयरोस्पेस परिक्षेत्र के लिए चमड़ों, वस्त्र, जूतों व अन्य तकनीकी आनुषांगिक उपकरणों के विनिर्माण केन्द्र ।
	नया नम्बर 12 व 13 जोड़ा जाना	12. शस्त्र, शस्त्र प्रणाली, गोला बारूद व विध्वंसक व आनुषांगिक अवयवों के विनिर्माण का केन्द्र 13. रक्षा व एयरोस्पेस सम्बन्धी विशिष्ट खादय पदार्थ के विनिर्माण व उनके पैकेजिंग केन्द्र की स्थापना
3.1	**3.1 नीति के उद्देश्य** 1. उत्तर प्रदेश को रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र हेतु सर्वोत्तम गंतव्य के रूप में स्थापित करना। 2. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्रों के लिए निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन। 3. बाजार के अंतर को कम करने तथा रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु राज्य में सहायक इकाइयों को उनसे जोड़ना। 4. डिफेन्स कॉरीडोर के समानान्तर रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्लस्टर्स की स्थापना को प्रोत्साहन।	**3.1 नीति के उद्देश्य** 1. उत्तर प्रदेश को रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र हेतु सर्वोत्तम गंतव्य के रूप में स्थापित करना। 2. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्रों के लिए निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन। 3. बाजार के अंतर को कम करने तथा रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु राज्य में सहायक इकाइयों को उनसे जोड़ना। 4. एक्सप्रेसवे व समर्पित रक्षा/एयरोस्पेस गलियारों के संरेखित क्षेत्र में फलने–फूलने वाले औद्योगिक समूहों की स्थापना व उन्हे सहूलियत देना।

	5. रक्षा क्षेत्र में निर्यातोन्मुख विनिर्माण आधार का विकास।	5. रक्षा क्षेत्र में निर्यातोन्मुख विनिर्माण आधार का विकास।
	6. एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण परियोजनाओं के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों (DPSUs) /ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (OFB) को राज्य में आकर्षित करना।	6. एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण परियोजनाओं के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों (DPSUs)/ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (OFB) को राज्य में आकर्षित करना।
	7. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में आनुषंगिक/ सहायक उद्योग को प्रोत्साहन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास।	7. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में आनुषंगिक/ सहायक उद्योग को प्रोत्साहन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास।
	8. रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना तथा निरंतर प्रौद्योगिकी उन्नयन सुनिष्चित करना।	8. रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र मे अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना तथा निरंतर प्रौद्योगिकी उन्नयन सुनिश्चित करना।
	9. आगामी 5 वर्षों में डिफेन्स कॉरीडोर में कम से कम 2 विश्वस्तरीय परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास (R&D)सुविधाओं का विकास करना।	9. रक्षा व एयरोस्पेस के परिक्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान व विकास को प्रोत्साहन व तकनीकि उन्नयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आई.आई.टी. कानपुर व बी0एच0यू0 वाराणसी व अन्य स्थानों पर तकनीकी सुगमता केन्द्र की स्थापना करना जिनका उद्देश्य उत्तर प्रदेश मे एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र व रक्षा/ एयरोस्पेस उद्योग को सहायता उपलब्ध कराना होगा।
	10. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में कौशल विकास को प्रोत्साहित करना।	10. रक्षा व एयरोस्पेस व सामरिक ज्ञान क्षेत्र में कौशल विकास को विकसित करना तथा समर्थन के साथ–साथ प्रोत्साहित करना
	नया नम्बर 11, 12 व 13 जोडा जाना	11. भारत मे नवीन प्रोद्भूत आभार/ कर्तव्य (offset obligations) हेतु नामित कम्पनियों/ संस्थानों के सकल निवेश के सार्थक हिस्से के व्यापार को प्रदेश में आकर्षित करना।
		12. रक्षा एवं एयरोस्पेस विनिर्माण पार्क/समूह हेतु हवाई मार्ग सुविधा/सडक/रेल यातायात को समृद्ध करने की सुविधा प्रदान किया जाना।
		13. प्रदेश में कार्यरत एम.एस.एम.ई. इकाईयों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से तथा प्रदेश में नई एम.एस.एम.ई. इकाईयों को आकर्षित करने के उद्देश्य से common Facility centers(CFCs)की स्थापना की जायेगी जो सार्वभौम सुविधाओं तथा उत्पादक, डिजाईन, ज्ञान क्षेत्र का अन्वेषण प्रोटोटाइपिंग, समेकित विनिर्माण अन्वेषण व विकास केन्द्र व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना को सहूलियत प्रदान करे,

आलोक

		साथ ही प्रशिक्षण केन्द्र, परीक्षण व प्रमाणन की सुविधा एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र को उपलब्ध कराना।
3.3	**3.3 परिभाषाएं** **1. रक्षा तथा एयरोस्पेस उत्पादः** यह निर्धारित करने के लिए कि कोई उत्पाद/ तकनीक रक्षा तथा/अथवा एयरोस्पेस की श्रेणी में है, भारत सरकार की किसी भी नीति, योजना अथवा किसी अन्य संबंधित प्रलेखों में सम्मिलित प्राविधानों/ परिभाषाओं अथवा विदेशों में अधिकृत समकक्ष प्राविधानों को सन्दर्भित किया जाएगा।	**3.3 परिभाषाएं** **1. रक्षा तथा एयरोस्पेस उत्पादः** यह निर्धारित करने के लिए कि कोई उत्पाद/ तकनीक रक्षा तथा/अथवा एयरोस्पेस की श्रेणी में है, भारत सरकार की किसी भी नीति, योजना अथवा किसी अन्य संबंधित प्रलेखों में सम्मिलित प्राविधानों/ परिभाषाओं अथवा विदेशों में अधिकृत समकक्ष प्राविधानों को सन्दर्भित किया जाएगा। रक्षा/एयरोस्पेस इकाई उत्पादों में सामग्री, उपकरण /उपस्कर विनियोजन इकाई उप–संयोजक व उपस्कर समाहित होंगे।
	2. रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयांः रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र की मूल्य–श्रंखला (Value chain)में उपर्यक्त परिभाषित रक्षा तथा एयरोस्पेस उत्पादों का विनिर्माण करने वाले समस्त आपूर्तिकर्ताओं को इसनीति के अन्तर्गत रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई माना गया है। इस नीति में परिभाषित मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां, एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां, वेण्डर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम. ई.) इकाईयां इस नीति के अधीन रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों के रूप में प्रोत्साहन की पात्र होंगी।	**2. रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयांः** रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र की मूल्य–श्रंखला (Value chain)में उपर्युक्त परिभाषित रक्षा तथा एयरोस्पेस उत्पादों का विनिर्माण करने वाले समस्त आपूर्तिकर्ताओं को इस नीति के अन्तर्गत रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई माना गया है। इस नीति में परिभाषित मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां, एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां, वेण्डर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम. ई.) इकाईयां इस नीति के अधीन रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों के रूप में प्रोत्साहन की पात्र होंगी। किसी भी इकाई में निम्नलिखित में से न्यूनतम एक मापदण्ड पूरा किया जाना अनिवार्य होगा– i. रक्षा/एयरोस्पेस परिक्षेत्र जैसा कि पूर्व में परिभाषित किया गया है, से संबंधित सामग्री/उपस्कर आपूर्ति की गयी हो। ii. रक्षा/एयरोस्पेस जैसा कि पूर्व में परिभाषित किया जा चुका है, में वित्तीय अनुदान अथवा आपूर्ति आदेश प्राप्त किया गया हो। iii. रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की प्रोद्भूत (offset) योजना के अन्तर्गत किसी भी विदेशी मूल उपस्कर निर्माता से मेमोरेन्डम ऑफ अन्डर स्टैंडिंग हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा आपूर्ति आदेश प्राप्त किया हो। iv. सेना, नौसेना, वायुसेना/ पैरामिलेट्री अधिष्ठान,

		डी.आर. डी.ओ., डी.ओ.ए. अथवा डी.ओ.एस. के लिए सरचना अथवा विकास का कार्य किया हो, v. भारतीय अथवा विदेशी मूल उपस्कर निर्माता के लिए परीक्षण अथवा प्रूफिंग सामग्री, उपकरण कलपुर्जे अवयव/संयोजन (Assembly)/उप–संयोजन (Sub-Assembly)/उपस्कर की आपूर्ति किसी भारतीय/विदेशी रक्षा/एयरोस्पेस परिक्षेत्र जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, में आपूर्ति किया हो।
	3. **मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां:** ऐसी वैश्विक अथवा भारतीय मौलिक उपकरण निर्माता (Original Equipment Manufacturers-OEMs) कम्पनियां, जो रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण प्लेटफार्म को डिज़ाइन एवं निर्माण करती हो तथा उनके द्वारा रु0 1000.00 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश किया गया हो। कम्पनी द्वारा रक्षा मंत्रालय अथवा गृह मंत्रालय (भारत सरकार) अथवा विदेशों में उनके समकक्ष अधिकृत संस्था अथवा सिविल एयरोस्पेस निर्माता/आपूर्तिकर्ता अथवा मेंटेनेंस, रिपेयर एण्ड ओवरहॉल –एम.आर.ओ. (Maintenance, Repair &Overhaul – MRO) इकाईको अपने तैयार उत्पादों के मूल्य के न्यूनतम 25 प्रतिशत् की आपूर्ति की जा रही हो अथवा कम्पनी के पक्ष में न्यूनतम रु. 50.00 करोड़ के रक्षा उत्पादों की पूर्ति के आदेश हो ।	3. **मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयां:** ऐसी वैश्विक अथवा भारतीय मौलिक उपकरण निर्माता (Original Equipment Manufacturers-OEMs) कम्पनियां, जो रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण प्लेटफार्म को डिजाइन एवं निर्माण करती हों तथा उनके द्वारा रु0 1000.00 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश किया गया हो। कम्पनी द्वारा रक्षा मंत्रालय अथवा गृह मंत्रालय (भारत सरकार) अथवा विदेशों में उनके समकक्ष अधिकृत संस्था अथवा सिविल एयरोस्पेस निर्माता/आपूर्तिकर्ता अथवा मेंटेनेंस, रिपेयर एण्ड ओवरहॉल–एम.आर.ओ. (Maintenance, Repair & Overhaul –MRO) इकाई को अपने तैयार उत्पादों के मूल्य के न्यूनतम 25 प्रतिशत् की आपूर्ति की जा रही हो अथवा कम्पनी के पक्ष में न्यूनतम रु. 50 करोड़ के रक्षा उत्पादों की पूर्ति के आदेश हो । रक्षा/एयरोस्पेस परिक्षेत्र की मेगा एंकर इकाईयां रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमन्य करटमाइज्ड प्रोत्साहन संकुल छूट की भी हकदार होंगी।
	नोट -इस नीति में परिभाषित एंकर डी एंड ए इकाइयों पर लागू सभी प्रोत्साहन मेगा एंकर डी एंड ए इकाइयों पर भी लागू होंगे।	नोट -इस नीति में परिभाषित एंकर डी एंड ए इकाइयों पर लागू सभी प्रोत्साहन मेगा एंकर डी एंड ए इकाइयों पर भी लागू होंगे। **रक्षा एवं एयरोस्पेस परिक्षेत्र** में सेना, नौसेना, वायुसेना, पैरामिलेट्री अधिष्ठान और विशिष्ट मामलों

		में DDR&D/DRDO अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा से संबंधित एंकर इकाई और उनके वेंडर्स सम्मिलित माने जायेंगे।
4.	**4. निजी रक्षा तथा एयरोस्पेस पार्क–** उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में, विशेष रूप से सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र वाले क्षेत्रों में, रक्षा तथा एयरोस्पेस पार्कों को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करेगी। इन पार्कों में 'प्लग--एंड–प्ले' औद्योगिक अवस्थापना सुविधा होगी, जिससे कम्पनियां अपने मुख्य व्यापार पर ध्यान केन्द्रित कर सकें। इन पार्कों में निम्नलिखित सुविधाएं होगी: 1. विनिर्माण क्षेत्र (कम्पोनेण्ट्स, सब–कम्पोनेण्ट्स, सब–एसेम्बलीज़, एयरोस्पेस पार्ट्स) एवं विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एस.ई.जेड.) 2. परीक्षण केन्द्र 3. हार्डवेयर / एम्बेडेड प्रौद्योगिकी केन्द्र 4. प्रौद्योगिकी नवाचार केन्द्र 5. हाउसिंग एवं कॉमन सुविधा केन्द्र– इस हेतु उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में निजी रक्षा तथा एयरोस्पेस पार्कों को निजी औद्योगिक पार्कों के समानसुविधाएं प्रदान करेगी । (**सन्दर्भ:** उ.प्र. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 का अनुच्छेद 3.2. 3)	**4. निजी रक्षा तथा एयरोस्पेस पार्क–** उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में, विशेष रूप से सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र वाले क्षेत्रों में, रक्षा तथा एयरोस्पेस पार्कों को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करेगी। इन पार्कों में 'प्लग–एंड–प्ले' औद्योगिक अवस्थापना सुविधा होगी, जिससे कम्पनियां अपने मुख्य व्यापार पर ध्यान केन्द्रित कर सकें। **रक्षा / एयरोस्पेस पार्क के विकास हेतु पूँजीगत उपादान** : रक्षा / एयरोस्पेस व सामरिक विकास कर्ता यूपीडा से भूमि क्रय कर सकते हैं या अपने स्तर से भी भूमि ले सकते हैं। रक्षा / एयरोस्पेस व सामरिक विकास कर्ताओंको अवस्थापना जनित पश्चसिरा (Back ended) उपादान अधिकतम 10.00 करोड़ की सीमा तक अनुमन्य होगा जिसकी दर सकल स्थावर आस्तियों के 10 प्रतिशत दर पर होगी बशर्ते रक्षा / एयरोस्पेस पार्क कम से कम 50 एकड़ में विकसित किया गया हो। बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र में स्थापित होने वाले रक्षा व एयरोस्पेस पार्कों को 15 प्रतिशत अतिरिक्त पूँजीगत उपादान 15 करोड़ रू की सीमा तक देय होगा। 50 प्रतिशत उपादान तब अनुमन्य होगी जब पार्क की 25 प्रतिशत भूमि आवंटित हो जायेगी। 100 प्रतिशत उपादान तब अनुमन्य होगा जब पार्क की 50 प्रतिशत भूमि आवंटित हो जायेगी। **अर्हकारी स्थावर (Fixed)आस्तियों की सूची** 1. भूमि (विकास मूल्य के साथ तारबाड़ (Fencing), आंतरिक मार्गों का निर्माण व अन्य मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं सहित) 2. स्थायी इमारत 3. कारखाना, देशज मशीनरी व उपस्कर 4. नवीन आयातित उपस्कर 5. कम्प्यूटर चालित उपस्कर, सामग्री संभालने वाले उपकरण / यन्त्र यथा–Forklifts crane इत्यादि टूल डाई, मोल्ड जिग्स और फिक्चर्स के अलावा समरूपेण उत्पादकता औजार जो इकाई के स्वामित्व और प्रयोग में प्लांट की इकाई के अन्दर अथवा अन्यत्र प्रयुक्त हो रहें हो।

		6. उपयन्त्र, विद्युत प्रतिस्थापन, प्रदूषण गुणवत्ता वाले नियंत्रण व प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले उपस्कर फिक्सर ट्यूब, पाइप, फिटिंग, स्टोरेज टैंक जिनका भुगतान परियोजना मद से किया गया हो। 7. अपशिष्ट, परिशोधन परिसम्पत्तियाँ। 8. ट्रांसफार्मर, जनरेटर, कैप्टिव पावर प्लांट आदि और अन्य सहायक सुविधायें जिनकी स्थापना परिसर में की गयी है। स्थापना व्यय सहित।
5.	**5. डिफेन्स कॉरीडोर में निवेश करने वाली इकाइयों हेतु प्रोत्साहन** 5.1 राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में डिफेन्स कॉरीडोर हेतु अधिसूचित क्षेत्र में भूमि के क्रय करने पर ही प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जाएंगे। इस प्रकार की अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत की जाएगी।	**5. डिफेन्स कॉरीडोर में निवेश करने वाली इकाइयों हेतु प्रोत्साहन** 5.1 राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में डिफेन्स कॉरीडोर हेतु अधिसूचित क्षेत्र में भूमि के क्रय करने पर ही प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जाएंगे। इस प्रकार की अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत की जाएगी।
	5.2 इस नीति में परिभाषित एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों को डिफेन्स कॉरीडोर मे भूमि की प्रचलित सर्किल दर अथवा क्रय मूल्य में से जो भी कम हो, की लागत के 25 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति।	5.2 एंकर रक्षा/एयरोस्पेस इकाईयां जिसे इस नीति में पूर्व में परिभाषित किया गया है, को डिफेंस कॉरीडोर में भूमि के सकल विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत धनराशि की छूट दी जायेगी।
	नया नम्बर 5.3, 5.4, 5.4, 5.6 जोड़ा जाना।	5.3 एंकर इकाईयों को अपनी भूमि के 20 प्रतिशत क्षेत्रफल में वेण्डर इकाईयों को लगाने की अनुमन्यता रहेगी। **5.4 भूमि आवण्टन हेतु भुगतान की शर्तें:–** उक्त सुविधायें उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट ऑथारिटी (यूपीडा) द्वारा उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट एक्ट, 1976 के प्राविधानों के अनुसार दी जायेंगी। 5.5–**पूँजीगत उपादान** रक्षा/एयरोस्पेस के परिक्षेत्र में नई एंकर इकाइयों के मामलों में पश्चसिरा (Back ended) पूँजीगत उपादान 10 प्रतिशत की दर से रू 10.00 करोड़ की सीमा तक और नई वेण्डर/एम.एस.एम.ई. इकाइयों को 5 प्रतिशत की दर से 5 करोड़ रूपये की सीमा तक की दर से पश्चसिरा (Back ended) पूँजीगत उपादान अनुमन्य होगा (जिसकी गणना भूमि को छोड़कर अर्हकारी स्थावर आस्तियों के आधार पर की जायेगी)। यह व्यवसायिक उत्पादन शुरू होने पर देय होगा।

		बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र में स्थापित होने वाली रक्षा/एयरोस्पेस इकाइयों को 15 प्रतिशत या 15 करोड़, जो भी कम हो, तथा वेण्डर/एम.एस.एम.ई. इकाईयों को 7.50 प्रतिशत या 7.50 करोड़ रूपये पश्चसिरा पूंजीगत उपादान, जो भी कम हो, अनुमन्य होगा। **5.6 कॉमन फैसिल्टी सेन्टर को सहायता** कॉमन फैसिल्टी सेन्टर प्रदेश के रक्षा/एयरोस्पेस विनिर्माण के ईको सिस्टम के अतिरिक्त प्रयास में सहायता प्रदान करेगा अत्एव राज्य सरकार प्रत्येक नोड पर कॉमन फैसिल्टी सेन्टर की स्थापना हेतु प्रेरक प्रोत्साहन छूट प्रदान करेगी जो भूमि के रूप में होगी जिसे प्रत्येक नोड के परिक्षेत्र में पूर्व चिन्हांकित किया जायेगा। सी0एफ0सी0 की स्थापना हेतु साफ्ट लोन का भी प्राविधान है। कॉमन फैसिल्टी सेन्टर एक सामूहिक सहयोगी प्रयास होगा जिसमें एम0एस0एम0ई0, रक्षा/एयरोस्पेस क्षेत्र प्रतिभागी होंगे। कॉमन फैसिल्टी सेन्टर की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान दिये जाने पर राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा।
7.1	**7.1 डिफेन्स कॉरीडोर के अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास अथवा परीक्षण सुविधा की स्थापना हेतु–** रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई द्वारा इस प्रकार की सुविधा की स्थापना हेतु लिये गये ऋण पर प्रतिवर्ष 50 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष हेतु ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसकी प्रति इकाई अधिकतम सीमा रु. 2.00 करोड़ होगी, प्रतिबन्ध यह होगा कि– • रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई के पास रक्षा मंत्रालय/गृह मंत्रालय/समकक्ष विदेशी सरकारों/सिविल एयरोस्पेस आपूर्तिकर्ता से अथवा मेंटेनेंस, रिपेयर एण्ड ओवरहॉल–एम.आर. ओ. सुविधा का न्यूनतम रु. 5.00 करोड़ का प्रत्यक्ष आपूर्ति आदेश होना चाहिए।	7.1 नगरीय क्षेत्र में अर्हकारी अनुसंधान व विकास इकाइयों को 2 (का) फ्लोर स्पेस इन्डेक्स उपलब्ध होगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में फ्लोर स्पेस इन्डेक्स की वर्जना नहीं रहेगी।

	'अथवा' • रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई द्वारा एक ऐसे निर्माता को सेवाएं प्रदान की जा रही हों, जिसके पास रक्षा मंत्रालय/गृह मंत्रालय/समकक्ष विदेशी सरकारों/नागरिक एयरोस्पेस आपूर्तिकर्ता से अथवा एम.आर.ओ. सुविधा का न्यूनतम रु. 50.00 करोड़ का आपूर्ति आदेश हो। **नोट**-इकाई द्वारा संलन प्रारम्भ होने के 2 वर्ष के भीतर समस्त मानदण्ड पूर्ण कर लिए जाने चाहिए।	
7.2	**7.2 सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाईयों (Defence PSUs) ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (OFB) में सार्वजनिक परीक्षण (Common Testing) तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का उपयोग करने हेतु**–रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाईयों में सार्वजनिक परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का उपयोग करने हेतु भुगतान किये गये प्रभार/शुल्क के 50 प्रतिशत् की प्रतिपूर्ति प्रति इकाई प्रतिवर्ष अधिकतम रूपये 5 लाख तक की जायेगी, समस्त इकाईयों को देय प्रतिपूर्ति की वार्षिक अधिकतम सीमा 5 करोड़ रूपये होगी।	7.2 विलोपित।

8.	**8. बाजार का विकास (Building Market)** इस नीति के अन्तर्गत पात्र एम.एस.एम.ई. इकाइयां अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शिनियों/मेलों में प्रतिभागिता लागत के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगी, जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 5 लाख प्रति प्रदर्शनी/मेला होगी। यह सुविधा अधिकतम 10 एम.एस.एम.ई. की इकाइयों को दी जायेगी। एक इकाई को यह प्रोत्साहन वर्ष एक ही बार प्रदान किया जायेगा।	8. विलोपित।
9.	नये उप–प्रस्तर 9.3 का जोड़ा जाना	9. मूल नीति में विद्यमान प्रस्तर– 9 के आगे निम्नवत प्रस्तर–9.3 जोड़ दिया जायेगा, अर्थात :– 9.3 कौशल विकास हेतु उपादान– प्रत्येक इकाईयों में अधिकतम 20 प्रशिक्षुओं की सीमा तक प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षु रू0 10000.00 की अधिकतम सीमा तक एक वर्ष के लिए कार्य पर तकनीकी प्रशिक्षण का व्यय भार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किया जायेगा।
11.2	**11.2 प्रोत्साहनों का एकमुश्त भुगतान–** इस नीति के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति व छूट आदि के रूप में दिये जाने वाले समस्त प्रोत्साहनों का भुगतान एक स्वीकृति–पत्र एवं एक लेखाशीर्षक के माध्यम से नोडल एजेन्सी द्वारा किये जायेंगे।	11.2 **प्रोत्साहनों का एकमुश्त भुगतान–** इस नीति के अन्तर्गत दिये जाने वाली सुविधाओं/प्रोत्साहनों हेतु उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) नोडल एजेंसी होगीं।
11.5	**11.5 गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति**– उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 में प्राविधानों के अनुसार रक्षा तथा एयरोस्पेस उद्योग को 24/7 विश्वसनीय गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है।	11.5 निम्नलिखित गुणवत्ता युक्त Infrastructure सुविधायें यथा– 132 के.वी.ए. स्तर की विद्युत प्रणाली तंत्र जलापूर्ति, सड़क से कनेक्टीविटी तथा भूमि के डिमार्केशन हेतु पिलरों के साथ प्रदान की जायेगी।
11	नये उप प्रस्तर 11.7 व 11.8 जोड़ा जाना	11.7 इस नीति में प्राविधानित सुविधाओं/छूटों की स्वीकृति की प्रकिया वही होगी जैसा कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 में दी गयी है। 11.8 इस नीति में आच्छादित पात्र इकाईयों को भूमि क्रय पर देय स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की किसी अन्य नीति में प्राविधानित कोई सुविधा/छूट अनुमन्य नहीं होगी।

12.3 के नोट 1 व 6	12.3 इस नीति में किसी भी संशोधन के प्रकरण में, यदि राज्य सरकार द्वारा किसी भी इकाई को प्रोत्साहनों का कोई पैकेज पूर्व में ही स्वीकृत किया गया है तो उसे वापस नहीं लिया जायेगा, इकाई लाभ की पात्र बनी रहेगी। नोट 1. सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाईयों/ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (ओ.एफ. बी.) को अपनी सुविधाओं (परीक्षण सुविधाएं, प्रयोगशालाएं, सहायक सुविधाएं एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु सुविधाएं, यथा–कर्मियों हेतु आवास इत्यादि) के निर्माण हेतु रियायती दर पर पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की जाएगी। 6. किसी भी अन्य नीति अथवा राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहनों से लाभ प्राप्त करने वाली रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां भी इस नीति में उल्लिखित प्रोत्साहनों/लाभों का लाभ उठाने की पात्र होंगी, बशर्ते समान प्रकार के लाभ/प्रोत्साहनों का लाभ अन्य किसी नीति से प्राप्त नहीं किया जा रहा हो।	12.3 इस नीति में किसी भी संशोधन के प्रकरण में, यदि राज्य सरकार द्वारा किसी भी इकाई को प्रोत्साहनों का कोई पैकेज पूर्व में ही स्वीकृत किया गया है तो उसे वापस नहीं लिया जायेगा, इकाई लाभ की पात्र बनी रहेगी। नोट 1. सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाईयों/ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (ओ.एफ.बी.) को अपनी सुविधाओं (परीक्षण सुविधाएं, प्रयोगशालाएं, सहायक सुविधाएं एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु सुविधाएं, यथा–कर्मियों हेतु आवास इत्यादि) के निर्माण हेतु पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की जाएगी। 6. नीति के अधीन केवल उन्हीं इकाइयों को रियायतें/सुविधायें दी जायेंगी जो इस नीति के प्रख्यापन के पश्चात् स्थापित की जायेंगी। केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहनों से लाभ प्राप्त करने वाली रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां भी इस नीति में उल्लिखित प्रोत्साहनों/लाभों का लाभ उठाने की पात्र होंगी, बशर्ते समान प्रकार के लाभ/प्रोत्साहनों का लाभ अन्य किसी नीति से प्राप्त नहीं किया जा रहा हो।

आलोक
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 976 /77–6–2019–एल0सी0 03/2018तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. अधिशासी निदेशक, उद्योगबन्धु, 12–सी, माल एवेन्यू, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत नीति उद्योग बन्धु की वेबसाइट पर आज ही अपलोड कराते हुए 150 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय कानपुर।
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
11. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
12. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

Bloom
(बाबू राम)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

संख्या-02/2021/126/77-6-21-एल.सी.03/2018 टी.सी. 1

लखनऊ : दिनांक 11 जनवरी, 2021

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-976/77-6-2019-एल.सी.03/2018, दिनांक 05-12-2019 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति (प्रथम संशोधन) 2019 के प्रस्तर-3.3(2)i में निम्नवत संशोधन करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

प्रस्तर	वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
3.3(2)	**3.3(2) रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयां:** रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र की मूल्य- श्रृंखला (Value Chain) में उपर्युक्त परिभाषित रक्षा तथा एयरोस्पेस उत्पादों का विनिर्माण करने वाले समस्त आपूर्तिकर्ताओं को इस नीति के अन्तर्गत रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई माना गया है। इस नीति में परिभाषित मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां, एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां, वेण्डर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम. ई.) इकाईयां इस नीति के अधीन रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों के रूप में प्रोत्साहन की पात्र होंगी। किसी भी इकाई में निम्नलिखित में से न्यूनतम एक मापदण्ड पूरा किया जाना अनिवार्य होगा- i. रक्षा/एयरोस्पेस परिक्षेत्र जैसा कि पूर्व में परिभाषित किया गया है, से संबंधित सामग्री/उपस्कर आपूर्ति की गयी हो।	**3.3(2) रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयां:** रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र की मूल्य-श्रृंखला (Value Chain) में उपर्युक्त परिभाषित रक्षा तथा एयरोस्पेस उत्पादों का विनिर्माण करने वाले समस्त आपूर्तिकर्ताओं को इस नीति के अन्तर्गत रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई माना गया है। इस नीति में परिभाषित मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां, एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां, वेण्डर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम. ई.) इकाईयां इस नीति के अधीन रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों के रूप में प्रोत्साहन की पात्र होंगी। किसी भी इकाई में निम्नलिखित में से न्यूनतम एक मापदण्ड पूरा किया जाना अनिवार्य होगा- i. रक्षा/एयरोस्पेस परिक्षेत्र जैसा कि पूर्व में परिभाषित किया गया है, से संबंधित सामग्री/उपस्कर आपूर्ति की गयी हो। ii. रक्षा/एयरोस्पेस क्षेत्र में प्रथम बार कार्य करने वाली इच्छुक स्टार्टअप अथवा एम0एस0एम0ई0 इकाईयों को भी नीति के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य कराए जाने पर निम्न शर्तो के अन्तर्गत विचार किया जाएगाः- (1) आवंटित भूमि का उपयोग कम्पनी द्वारा केवल "राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उत्तर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति (प्रथम संशोधन) 2019" के अन्दर परिभाषित रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्र से संबंधित सामग्री/उपस्कर आपूर्ति की गयी हो अथवा प्रस्तावित हो जिसका साक्ष्य उपक्रम के शुरू होने पर देना अनिवार्य होगा अन्यथा पट्टा निरस्त कर दिया जाएगा। (2) यदि कोई ऐसी स्टार्टअप अथवा एम0एस0एम0ई नीति के अन्तर्गत उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व कोई अन्य लाभ जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी से छूट, प्राप्त करती हो तो उसके समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी दिए जाने के पश्चात ही ऐसे लाभ प्रदान किए जाए और यदि प्रश्नगत इकाई नीति में परिभाषित रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्र से संबंधित सामग्री/उपस्कर की आपूर्ति करने में विफल रहती है तो दिए गए लाभ को वापस करने के लिए उसकी बैंक गारण्टी को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जाएगा।

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-02/2021/126/77-6-21-एल.सी.03/2018 टी.सी.1तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/ सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत नीति को अपनी वेबसाइड पर अपलोड कराते हुए 150 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
9. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
11. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनी कान्त पाण्डेय

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 30/2020/1651 /77-6-2020-एल.सी.-03/2018

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

औद्योगिक विकास विभाग-6 लखनऊ : दिनांक 17 सितम्बर, 2020

विषय- उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 (यथासंशोधित) के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 तथा उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति (प्रथम संशोधन)-2019 क्रमशः अधिसूचना संख्या- 2792/77-6-18-एल.सी. 03/18, दिनांक 16 जुलाई, 2018 तथा अधिसूचना संख्या- 976/ 77-6-2019-एल.सी. 03/2018, दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 निर्गत की गयी है। उक्त नीति के उद्देश्य निम्नवत् हैं:-

I. उत्तर प्रदेश को रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र हेतु सर्वोत्तम गंतव्य के रूप में स्थापित करना।
II. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्रों के लिए निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन।
III. बाजार के अंतर को कम करने तथा रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु राज्य में सहायक इकाइयों को उनसे जोड़ना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

IV. एक्सप्रेसवे व समर्पित रक्षा/एयरोस्पेस गलियारों के संरेखित क्षेत्र में फलने-फूलने वाले औद्योगिक समूहों की स्थापना व उन्हे सहूलियत देना।

V. रक्षा क्षेत्र में निर्यातोन्मुख विनिर्माण आधार का विकास।

VI. एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण परियोजनाओं के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों (DPSUs)/ऑर्डिनेस फैक्टरी बोर्ड (OFB) को राज्य में आकर्षित कराना।

VII. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में आनुषंगिक/सहायक उद्योग को प्रोत्साहन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास।

VIII. रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना तथा निरंतर प्रौद्योगिकी उन्नयन सुनिश्चित करना।

IX. रक्षा व एयरोस्पेस के परिक्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान व विकास को प्रोत्साहन व तकनीकि उन्नयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आई.आई.टी. कानपुर व बी0एच0यू0 वाराणसी व अन्य स्थानों पर तकनीकी सुगमता केन्द्र की स्थापना करना जिनका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र व रक्षा/एयरोस्पेस उद्योग को सहायता उपलब्ध कराना होगा।

X. रक्षा व एयरोस्पेस व सामरिक ज्ञान क्षेत्र में कौशल विकास को विकसित करना तथा समर्थन के साथ-साथ प्रोत्साहित करना।

XI. भारत में नवीन प्रोद्भूत आभार/कर्तव्य (offset obligations) हेतु नामित कम्पनियों/संस्थानों के सकल निवेश के सार्थक हिस्से के व्यापार को प्रदेश में आकर्षित करना।

XII. रक्षा एवं एयरोस्पेस विनिर्माण पार्क/समूह हेतु हवाई मार्ग सुविधा/सड़क/रेल यातायात को समृद्ध करने की सुविधा प्रदान किया जाना।

XIII. प्रदेश में कार्यरत एम.एस.एम.ई. इकाईयों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से तथा प्रदेश में नई एम.एस.एम.ई. इकाईयों को आकर्षित करने के उद्देश्य से Common Facility centers (CFCs) की स्थापना की जाएगी जो सार्वभौम सुविधाओं तथा उत्पादक, डिजाईन, ज्ञान क्षेत्र का अन्वेषण प्रोटोटाइपिंग, समेकित विनिर्माण अन्वेषण व विकास केन्द्र व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना को सहूलियत प्रदान करें, साथ ही प्रशिक्षण केन्द्र, प्रशिक्षण व प्रमाणन की सुविधा एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र को उपलब्ध कराना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेव साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त नीति निम्न शर्तों के अधीन लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

1. **नीति**

नीति शब्द इस दस्तावेज में उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 (यथा संशोधित) का वर्णन करता है।

2. **क्रियान्वयन की अवधि**

दिशा निर्देश तब तक लागू रहेगा जब तक कि इस दिशा निर्देश में राज्य सरकार द्वारा संशोधन नहीं किया जाता है।

3. नोडल संस्था का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण" (यूपीडा) से है।

4. **उपयुक्तता**

4.1 "उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 (यथा संशोधित)" के लिए दिशा निर्देश सभी इकाइयों पर लागू होंगे जैसा कि नीति के तहत परिभाषित किया गया है।

4.2 उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे (UPDIC) की नोड्स में झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़, कानपुर, आगरा, लखनऊ और समय-समय पर GoUP द्वारा अधिसूचित किसी भी अतिरिक्त सम्मिलित/संशोधन शामिल हैं।

5. **परिभाषाएं**

5.1 निजी रक्षा तथा एयरोस्पेस पार्क

निजी रक्षा तथा एयरोस्पेस पार्क, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे (UPDIC के लिए बनाए गए उपनियमों द्वारा शासित होंगे।

5.2 एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट

एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे औद्योगिक अपशिष्ट जल को उसके पुनः उपयोग, पर्यावरण के लिए सुरक्षित निराकरण के लिए तैयार किया गया है।

5.3 अनुमोदन समिति

अनुमोदन हेतु निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है -

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5.3.1) रू. 200 करोड़ तक के औद्योगिक उपक्रमों हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक स्वीकृति समिति गठित की जाएगी जिसके सदस्य निम्नवत् होंगेः-

I. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
II. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति) वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
III. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति), न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
IV. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति), राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
V. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति), सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
VI. संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव।
VII. नोडल संस्था (यूपीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी-संयोजक।

समिति की बैठक में आवेदक उपक्रम के प्रतिनिधि भी आमंत्रित किए जाएंगे, परन्तु उनकी अनुपस्थिति से स्वीकृति की प्रक्रिया बाधित नहीं होगी।

बैठक की कार्यवाही के आधार पर संबंधित विभागों को स्वीकृति-पत्र/लेटर आफ कम्फर्ट का आलेख प्रसारित किया जाएगा, जिस पर संबंधित विभाग अपनी सहमति अंकित करेंगे। उक्त के पश्चात नोडल संस्था द्वारा पात्र औद्योगिक उपक्रमों को औपचारिक स्वीकृति-पत्र निर्गत किया जाएगा।

(5.3.2) रू. 200 करोड़ से ऊपर के निवेश करने वाले औद्योगिक उपक्रमों के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा सुविधाओं पर अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। इम्पावर्ड कमेटी में निम्नवत् सदस्य होंगेः-

I. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
II. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति), अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
III. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति), वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

IV. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति), न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।

V. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति), राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।

VI. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति), सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।

VII. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (यथास्थिति), नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

VIII. संबंधित विभागों के प्रतिनिधि जिनसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रार्थित है।

IX. नोडल संस्था (यूपीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी-संयोजक

समिति की बैठक में प्रार्थी उपक्रमों के प्रतिनिधि भी आमंत्रित किए जाएंगे।

मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन एवं आवश्यक शासनादेश निर्गत हो जाने के पश्चात् नोडल संस्था द्वारा पात्र औद्योगिक उपक्रमों को लेटर आफ कम्फर्ट जारी किया जाएगा।

6. सामान्य सुविधा केंद्र (सी0एफ0सी0) की स्थापना

आवेदक को परिकल्पित सामान्य सुविधा केंद्र (सी0एफ0सी0) में निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकारण (यूपीडा) के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगाः-

I. संबोधित क्षेत्र और प्रौद्योगिकी

II. सी0एफ0सी0 द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं

III. सस्टेनेबिलीटी मॉडल

IV. कौशल विकास, नवाचार और ऊष्मायन के बारे में विवरण, जो सी0एफ0सी0 के कार्यो से संबंधित हो।

यूपीडा द्वार प्राप्त आवेदन को राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बाद ही रक्षा मंत्रालय को प्रेषित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय की स्वीकृति के पश्चात् नीति के अनुसार वितिय संसाधन उपलब्ध कराए जाएगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. प्रोत्साहन

7.1 स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण

नीति के अन्तर्गत पात्र औद्योगिक इकाइयों को भूमि के क्रय पर देय स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी तथा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा इस आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी।

उक्त छूट स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या -07/2020/803/94-स्टा0नि0-2-2020-700(9)2020, दिनांक 20 अगस्त 2020 के अन्तर्गत शर्तों के अधीन प्रदान की जाएगी।

7.2 पेटेंट लागत / गुणवत्ता प्रमाणन

(i) पेटेंट शुल्क प्रतिपूर्ति

शुल्क प्रतिपूर्ति देने के लिए आवेदन पत्र पेटेंट प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर नोडल संस्था को प्रस्तुत किया जाना है।

(ii) गुणवत्ता प्रमाणन

गुणवत्ता प्रमाणन शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन प्रमाणन प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर नोडल संस्था को प्रस्तुत किया जाना है।

(iii) ट्रेडमार्क पंजीकरण

प्रमाणन प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर ट्रेडमार्क पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन नोडल संस्था प्रस्तुत किया जाना है।

7.3 परिवहन प्रभार पर छूट

7.3.1. प्लांट व मशीनरी के परिवहन पर

इसके अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन आयात और कमीशन के एक वर्ष के भीतर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना है:-

(i) निर्यात लाइसेंस कॉपी (मशीनरी/ उपकरण आपूर्तिकर्ता से)

(ii) राष्ट्रीयकृत बैंक के ऋण पत्र

(iii) बीमा का बिल

(iv) शिपमेंट का प्रमाण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(V) भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क और कस्टम ड्यूटी के लिए रसीद

(Vi) संबंधित अधिकारियों द्वारा उद्योग को आयात प्राधिकरण

(Vii) इंस्टालेशन और कमीशनिंग शेड्यूल

(Viii) हस्तांतरण के लिए या बिल की गई राशि के भुगतान को जारी करने का प्रमाण

7.3.2 तैयार उत्पादों का परिवहन-

इसके अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निर्यात कमीशन के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना है:-

(i) वैध निर्यात लाइसेंस

(ii) राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण पत्र

(iii) बीमा कॉपी

(iv) लैंडिंग का बिल

(v) क्रेता द्वारा तैयार उत्पाद की शिपमेंट और प्राप्ति का बिल।

7.4 उत्प्रवाह उपचार संयंत्र (Effluent Treatment Plant-ETP) की स्थापना हेतु उपादान

उत्प्रवाह उपचार संयंत्र (Effluent Treatment Plant -ETP) की स्थापना हेतु उपादान प्राप्त करने हेतु आवेदक को भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया पर्यावरण अनुमति पत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमति पत्र नोडल संस्था को प्रस्तुत करना होगा।

7.5 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण उपादान

एंकर इकाइयों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का विवरण नोडल संस्था को प्रस्तुत करना होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7.6 क्षमता विकास

लगे हुए कर्मियों के लिए परिभाषित कौशल विकास पाठ्यक्रम मूल्यांकन के लिए सैंक्शनिंग बॉडी को प्रस्तुत किया जाएगा।

7.6.1 प्रत्येक परिभाषित नौकरी के लिए कौशल मैट्रिक्स और उद्योग द्वारा अपनाई जा रही प्रौद्योगिकी के लिए इसकी प्रासंगिकता हर तिमाही में प्राप्तकर्ताओं द्वारा की गई प्रगति के साथ प्रस्तुत की जाएगी। कौशल विकास के लिए प्रदान किए गए 1 वर्ष के निर्धारित कार्यकाल के पूरा होने के बाद, उद्योग से अधिकृत समन्वयक द्वारा अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए पात्रता केवल चालू वर्ष के लिए मान्य होगी और प्रोत्साहन तिमाही आधार पर वितरित किया जाएगा।

7.6.2 प्रशिक्षण की एक विस्तृत रिपोर्ट, और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षुओं का नाममात्र रोल प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

8. विविध

I. अन्य विभागों से संबंधित सुविधाओं हेतु बजट प्राविधान संबंधित विभागों द्वारा किए जाएंगे।

II. इस दिशा निर्देश के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूपों में किसी भी प्रकार के संशोधन/परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो इस प्रकार के संशोधनों के लिए औद्योगिक विकास विभाग सक्षम होंगे।

III. जब भी भविष्य में SPV की स्थापना की जाती है, तो UPEIDA द्वारा किए जा रहे कार्य, स्वचालित रूप से SPV को स्थानांतरित हो जाएंगे।

IV. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 30/2020/1651(1) /77-6-2020-एल.सी.-03/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा।

(5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इनवेस्ट यू0पी0।

(6) प्रबंध निदेशक, पिकप।

(7) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर।

(8) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

(9) औद्योगिक विकास विभाग के समस्त अनुभाग

(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुजाता शर्मा
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुसंलग्नक I

	आवेदन करते समय आवेदक को सहायक दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी							टिप्पणी
1	रक्षा कंपनी का नामः							
2	रक्षा उत्पाद का नाम, जिसका निर्माण या आपूर्ति की जायेगी :							
3	पंजीकृत पते का विवरणः							
4	संपर्क विवरणः							
5	कुल निवेश की जाने वाली राशि							
6	a) एमएसएमई /औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) b) कंपनी के निगमन का प्रमाण पत्र c) एसोसिएशन का ज्ञापन d) एसोसिएशन का अनुच्छेद e) पैन पंजीकरण f) जीएसटी पंजीकरण							
7	a) निम्नलिखित प्रारूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाण पत्र							
	वर्ष (पिछले 03 वित्तीय वर्ष)	शेयर पूंजी का भुगतान	भंडार	कुल मूल्य	शुद्ध लाभ	कुल बिक्री	रक्षा क्षेत्र की वस्तुओं का कारोबार	
	2016-17							
	2017-18							
	2018-19							
	b) ISOद्वारा प्रमाणित (यदि हो)							
	c)उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारा में जमीन के लिए आवेदन करते समय कंपनी /फर्म को किसी भी राज्य/केंद्र सरकार के उपक्रम / अध्यादेश कारखाने / रक्षा मंत्रालय द्वारा निष्कासित / ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हो							
	d) आवेदन प्रस्ताव में प्रस्तावित उत्पादों के समान उत्पादों की आपूर्ति के लिए कार्य आदेश की प्रतिलिपि							
	e) आवेदक फर्म और प्रौद्योगिकी प्रदाता के बीच एम0ओ0यू0 की प्रतिलिपि							
8	पूर्व में फर्म द्वारा आपूर्ति किए गए समान उत्पादों के कार्य आदेशों की प्रतिलिपि							
9	प्लांट लेआउट और भूमि क्षेत्र के लिए औचित्य के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की प्रतिलिपि							
10	उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति– 2018 (यथासंशोधित) के प्रस्तर							

	2.5 के अन्तर्गत निवेश क्षेत्र में शामिल उत्पाद – (हां /नहीं) यदि हां तो उत्पाद उपरोक्त दिये गये प्रस्तर के किस क्रम संख्या में आता है			
11	नोड - भूमि के क्षेत्र की आवश्यकता:			
	उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति – 2018 (यथासंशोधित) का प्रस्तर– 3.3 a) रक्षा/एयरोस्पेस इकाई उत्पादों में सामग्री, उपकरण /उपस्कर विनियोजन इकाई उप–संयोजक व उपस्कर समाहित होंगे			
	b)निम्न मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करना अनिवार्य होगा			
	i) रक्षा/एयरोस्पेस परिक्षेत्र जैसा कि पूर्व में परिभाषित किया गया है, से संबंधित सामग्री/उपस्कर आपूर्ति की गयी हो।			
	ii) रक्षा/एयरोस्पेस जैसा कि पूर्व में परिभाषित किया जा चुका है, में वित्तीय अनुदान अथवा आपूर्ति आदेश प्राप्त किया गया हो।			
	iii) रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की प्रोद्भूत (offset) योजना के अन्तर्गत किसी भी विदेशी मूल उपस्कर निर्माता से मेमोरेन्डम ऑफ अन्डर स्टैंडिंग हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा आपूर्ति आदेश प्राप्त किया हो।			
	iv) सेना, नौसेना, वायुसेना/ पैरामिलेट्री अधिष्ठान, डी.आर. डी.ओ., डी.ओ.ए. अथवा डी.ओ.एस. के लिए संरचना अथवा विकास का कार्य किया हो,			
	v) भारतीय अथवा विदेशी मूल उपस्कर निर्माता के लिए परीक्षण अथवा प्रूफिंग सामग्री, उपकरण कलपुर्जे अवयव/संयोजन (Assembly)/उप–संयोजन (Sub-Assembly)/उपस्कर की आपूर्ति किसी भारतीय/विदेशी रक्षा/एयरोस्पेस परिक्षेत्र जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, में आपूर्ति किया हो			
12	**रक्षा तथा एयरोस्पेस के प्रकार**	**निवेश**	**प्रत्यक्ष रोजगार**	
	a) मेगा एंकर यूनिट निवेश	>=1000 करोड़	NIL	
	b) एंकर यूनिट निवेश			
	i) बुन्देलखण्ड	>= 200	या न्यूनतम 1000 नं0 प्रत्यक्ष रोजगार	
	ii) मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर, गाज़ियाबाद को छोड़कर)	>=300	या न्यूनतम 1500 नं0 प्रत्यक्ष रोजगार	
	iii) गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर	>= 400	या न्यूनतम 2000 नं0 प्रत्यक्ष रोजगार	
	c) वेंडर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई			
	d) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम0एस0एम0ई0) इकाईयां और सी0एफ0सी0			

	e) सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाई डी0पी0एस0यू/पी0एस0यू			
	f) अन्य			
	आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर दिनांक			

संलग्नक–II

आवेदक अंडरटेकिंग का विवरण		
1	औद्योगिक उपक्रम का नाम	
2	औद्योगिक उपक्रम का गठन	कृपया चिन्हित करें कि क्या सार्वजनिक एलटी / प्रा0 लिमिटेड / साझेदारी आदि
3	पंजीकृत कार्यालय का पता: दूरभाष: मोबाइल न0 ईमेल	
4	मालिक का नाम मोबाइल न0 ईमेल	
5	नामित सम्पर्क का विवरण नाम पद नाम दूरभाष: मोबाइल न0 ईमेल	
6	वी0ए0टी0 रजिस्ट्रेशन	
7	सी0एस0टी रजिस्ट्रेशन	
8	यूपीडा भूमि आवंटन पावती संख्या	

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक

अनुसंलग्नक III

["उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 (यथा संशोधित)" के क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश के प्रस्तर–7 के संबंध में]

प्रोत्साहन के लिये आवेदन		
	प्रोत्साहन के प्रकार	**हां/ना**
1	भूमि प्रोत्साहन	
2	A & D MSME इकाइयों को पूंजी निवेश सब्सिडी	
3	कौशल विकास के लिए प्रोत्साहन	
4	स्टाम्प ड्यूटी छूट	
5	लीज रेंट सब्सिडी	
6	पेटेंट शुल्क प्रतिपूर्ति	
7	गुणवत्ता पंजीकरण	
8	ट्रेडमार्क पंजीकरण	
9	प्लांट और मशीनरी का परिवहन	
10	तैयार उत्पादों का परिवहन	
11	अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए सब्सिडी	
12	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण ग्रिड	
13	कौशल विकास के लिए सब्सिडी	
14	अनुसंधान और विकास और परीक्षण सुविधा के लिए सहायता	

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक

संलग्नक IV

[उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 (यथासंशोधित)–के कियान्वययन हेतु दिशानिर्देश के प्रस्तर 7.6 के संबंध में]

कुशल श्रमशक्तिका विवरण		
1	कर्मचारियों की कुल संख्या	
2	कौशल विकास के लिए आवश्यक लोगों की संख्या	
3	तकनीकी (6.2 में से)	
4	प्रबंधकीय (6.2 में से)	

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–6
संख्या:36/2022/2090/77–6–2022–एल0सी0–03/18
लखनऊ : दिनांक 17 अगस्त, 2022

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल अधिसूचना संख्या–2792/77–6–18–एल0सी0–03/18 दिनांक 16.07.2018 निर्गत तथा इसके कम में कमशः अधिसूचना संख्या–976/77–6–2019–एल0सी0–03/2018 दिनांक 05.12.2019 तथा अधिसूचना संख्या–02/2021/126/77–6–21–एल0सी0–03/2018टी.सी.–1 दिनांक 11.01.2021 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 (यथासंशोधित) में निम्नवत संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

	स्तम्भ–1	**स्तम्भ–2**
उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 (यथासंशो धित) का मूल प्रस्तर	**विद्यमान प्रस्तर**	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर**
प्रस्तर 2.5 (उत्तर प्रदेश में उपलब्ध अवसर)	उत्कृष्ट अवस्थापना, सुविधाओं एवं अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के साथ इस नीति का आशय रक्षा तथा एयरोस्पेस के निम्नलिखित क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है:– 1. डिफेन्स रक्षा तकनीकी पार्क, जो रक्षा गलियारा नोड यथा कानपुर, झाँसी, अलीगढ़, चित्रकूट, आगरा तथा लखनऊ आदि व उनका अन्य जनपदों में विस्तार । 2. रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (Defence PSUs) का विस्तारीकरण अथवा सहभागिता।	उत्कृष्ट अवस्थापना, सुविधाओं एवं अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के साथ इस नीति का आशय रक्षा तथा एयरोस्पेस के निम्नलिखित क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है:– 1. डिफेन्स रक्षा तकनीकी पार्क, जो रक्षा गलियारा नोड यथा कानपुर, झाँसी, अलीगढ़, चित्रकूट, आगरा तथा लखनऊ आदि व उनका अन्य जनपदों में विस्तार । 2. रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (Defence PSUs) का विस्तारीकरण अथवा सहभागिता।

	3. डिफेन्स कॉरिडोर नोड जैसे कानपुर, झाँसी, अलीगढ़, चित्रकूट, आगरा तथा लखनऊ व अन्य जनपदों में इसके विस्तार की संभावना के साथ एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना । 4. परीक्षण व प्रमाणीकरण केन्द्रों की स्थापना, जिसमें तोपखाने के लिए फॉयरिंग रेंज व अन्य सैन्य शस्त्र/उपस्कर हेतु फॉयरिंग रेंज को समाहित करते हुये परीक्षण व प्रमाणीकरण केन्द्र की स्थापना व विकास। 5. UAV/ड्रोन के प्रारूपों का विकास विनिर्माण व परीक्षण सुविधायें । 6. हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर का विनिर्माण अथवा उनके संयोजन (Assembling) व रख–रखाव की सुविधायें। 7. रक्षा/सैन्य/एयरोस्पेस संबंधी यांत्रिक वाहनों उनके कलपुर्जो का संयुक्तीकरण और आनुषांगिक इकाईयों की स्थापना । 8. पुलिस के आधुनिकीकरण व लघु तीव्रता के संघर्षो में उपयोग आने वाले उपकरण हथियार व संस्पर्शी (sensor) उपस्कर आदि का निर्माण। 9. इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाएं (IT/ITeS) केन्द्र– आगरा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, नोएडा आदि में। 10. इंजीनियरिंग केन्द्र–अलीगढ़ में धातु परिशुद्धता कार्य (Metal precision work), आगरा में ढलाई खाना (Foundry) इत्यादि। 11. रक्षा एवं एयरोस्पेस परिक्षेत्र के लिए	3. डिफेन्स कॉरिडोर नोड जैसे कानपुर, झाँसी, अलीगढ़, चित्रकूट, आगरा तथा लखनऊ व अन्य जनपदों में इसके विस्तार की संभावना के साथ एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना । 4. परीक्षण व प्रमाणीकरण केन्द्रों की स्थापना, जिसमें तोपखाने के लिए फॉयरिंग रेंज व अन्य सैन्य शस्त्र/उपस्कर हेतु फॉयरिंग रेंज को समाहित करते हुये परीक्षण व प्रमाणीकरण केन्द्र की स्थापना व विकास। 5. UAV/ड्रोन के प्रारूपों का विकास विनिर्माण व परीक्षण सुविधायें । 6. हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर का विनिर्माण अथवा उनके संयोजन (Assembling) व रख–रखाव की सुविधायें। 7. रक्षा/सैन्य/एयरोस्पेस संबंधी यांत्रिक वाहनों उनके कलपुर्जो का संयुक्तीकरण और आनुषांगिक इकाईयों की स्थापना । 8. पुलिस के आधुनिकीकरण व लघु तीव्रता के संघर्षो में उपयोग आने वाले उपकरण हथियार व संस्पर्शी (sensor) उपस्कर आदि का निर्माण। 9. इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाएं (IT/ITeS) केन्द्र– आगरा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, नोएडा आदि में। 10. इंजीनियरिंग केन्द्र–अलीगढ़ में धातु परिशुद्धता कार्य (Metal precision work), आगरा में ढलाई खाना (Foundry) इत्यादि। 11. रक्षा एवं एयरोस्पेस परिक्षेत्र के लिए

	चमड़ों, वस्त्र, जूतों व अन्य तकनीकी आनुषांगिक उपकरणों के विनिर्माण केन्द्र। 12. शस्त्र, शस्त्र प्रणाली, गोला बारूद व विध्वंसक व आनुषांगिक अवयवों के विनिर्माण का केन्द्र 13. रक्षा व एयरोस्पेस सम्बन्धी विशिष्ट खाद्य पदार्थ के विनिर्माण व उनके पैकेजिंग केन्द्र की स्थापना	चमड़ों, वस्त्र, जूतों व अन्य तकनीकी आनुषांगिक उपकरणों के विनिर्माण केन्द्र। 12. शस्त्र, शस्त्र प्रणाली, गोला बारूद व विध्वंसक व आनुषांगिक अवयवों के विनिर्माण का केन्द्र 13. रक्षा व एयरोस्पेस सम्बन्धी विशिष्ट खाद्य पदार्थ के विनिर्माण व उनके पैकेजिंग केन्द्र की स्थापना **नया उप प्रस्तर–14– रक्षा व एयरोस्पेस सम्बन्धित उपकरणों के लिए विशिष्ट पैकेजिंग उद्योग की स्थापना।**
प्रस्तर–3.1 (नीति के उद्देश्य)	1. उत्तर प्रदेश को रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र हेतु सर्वोत्तम गंतव्य के रूप में स्थापित करना। 2. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्रों के लिए निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन। 3. बाजार के अंतर को कम करने तथा रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु राज्य में सहायक इकाइयों को उनसे जोड़ना। 4. एक्सप्रेसवे व समर्पित रक्षा/एयरोस्पेस गलियारों के संरेखित क्षेत्र में फलने–फूलने वाले औद्योगिक समूहों की स्थापना व उन्हे सहूलियत देना। 5. रक्षा क्षेत्र में निर्यातोन्मुख विनिर्माण आधार का विकास। 6. एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण परियोजनाओं के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों (DPSUs)/ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (OFB) को राज्य में आकर्षित करना। 7. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में आनुषांगिक/सहायक उद्योग को प्रोत्साहन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास।	1. उत्तर प्रदेश को रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र हेतु सर्वोत्तम गंतव्य के रूप में स्थापित करना। 2. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्रों के लिए निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन। 3. बाजार के अंतर को कम करने तथा रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु राज्य में सहायक इकाइयों को उनसे जोड़ना। 4. एक्सप्रेसवे व समर्पित रक्षा/एयरोस्पेस गलियारों के संरेखित क्षेत्र में फलने–फूलने वाले औद्योगिक समूहों की स्थापना व उन्हे सहूलियत देना। 5. रक्षा क्षेत्र में निर्यातोन्मुख विनिर्माण आधार का विकास। 6. एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण परियोजनाओं के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों (DPSUs) को राज्य में आकर्षित करना 7. रक्षा तथा एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में आनुषांगिक/सहायक उद्योग को प्रोत्साहन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास।

	8. रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना तथा निरंतर प्रौद्योगिकी उन्नयन सुनिश्चित करना।	8. रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना तथा निरंतर प्रौद्योगिकी उन्नयन सुनिश्चित करना।
	9. रक्षा व एयरोस्पेस के परिक्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान व विकास को प्रोत्साहन व तकनीकि उन्नयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आई. आई.टी. कानपुर व बी0एच0यू0 वाराणसी व अन्य स्थानों पर तकनीकी सुगमता केन्द्र की स्थापना करना जिनका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में एम0 एस0एम0ई0 क्षेत्र व रक्षा/ एयरोस्पेस उद्योग को सहायता उपलब्ध कराना होगा।	9. रक्षा व एयरोस्पेस के परिक्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान व विकास को प्रोत्साहन व तकनीकि उन्नयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आई. आई.टी. कानपुर व बी0एच0यू0 वाराणसी व अन्य स्थानों पर तकनीकी सुगमता केन्द्र की स्थापना करना जिनका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में एम0 एस0एम0ई0 क्षेत्र व रक्षा/ एयरोस्पेस उद्योग को सहायता उपलब्ध कराना होगा।
	10. रक्षा व एयरोस्पेस व सामरिक ज्ञान क्षेत्र में कौशल विकास को विकसित करना तथा समर्थन के साथ–साथ प्रोत्साहित करना	10. रक्षा व एयरोस्पेस व सामरिक ज्ञान क्षेत्र में कौशल विकास को विकसित करना तथा समर्थन के साथ–साथ प्रोत्साहित करना
	11. भारत में नवीन प्रोद्भूत आभार/ कर्तव्य (offset obligations) हेतु नामित कम्पनियों/ संस्थानों के सकल निवेश के सार्थक हिस्से के व्यापार को प्रदेश में आकर्षित करना।	11. भारत में नवीन प्रोद्भूत आभार/ कर्तव्य (offset obligations) हेतु नामित कम्पनियों/ संस्थानों के सकल निवेश के सार्थक हिस्से के व्यापार को प्रदेश में आकर्षित करना।
	12. रक्षा एवं एयरोस्पेस विनिर्माण पार्क/समूह हेतु हवाई मार्ग सुविधा/सड़क/रेल यातायात को समृद्ध करने की सुविधा प्रदान किया जाना।	12. रक्षा एवं एयरोस्पेस विनिर्माण पार्क/समूह हेतु हवाई मार्ग सुविधा/सड़क/रेल यातायात को समृद्ध करने की सुविधा प्रदान किया जाना।
	13. प्रदेश में कार्यरत एम.एस.एम.ई. इकाईयों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से तथा प्रदेश में नई एम.एस. एम.ई. इकाईयों को आकर्षित करने के उद्देश्य से Common Facility Centers (CFCs) स्थापना की जायेगी जो सार्वभौम सुविधाओं तथा उत्पादक, डिजाईन, ज्ञान क्षेत्र का	13. प्रदेश में कार्यरत एम.एस.एम.ई. इकाईयों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से तथा प्रदेश में नई एम.एस. एम.ई. इकाईयों को आकर्षित करने के उद्देश्य से Common Facility Centers (CFCs) स्थापना की जायेगी जो सार्वभौम सुविधाओं तथा उत्पादक, डिजाईन, ज्ञान क्षेत्र का अन्वेषण

	अन्वेषण प्रोटोटाइपिंग, समेकित विनिर्माण अन्वेषण व विकास केन्द्र व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना को सहूलियत प्रदान करे, साथ ही प्रशिक्षण केन्द्र, परीक्षण व प्रमाणन की सुविधा एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र को उपलब्ध कराना।	प्रोटोटाइपिंग, समेकित विनिर्माण अन्वेषण व विकास केन्द्र व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना को सहूलियत प्रदान करे, साथ ही प्रशिक्षण केन्द्र, परीक्षण व प्रमाणन की सुविधा एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र को उपलब्ध कराना। **नया उप प्रस्तर–14** **प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के अन्तर्गत रक्षा एवं एयरोस्पेस इकाइयों को प्रोत्साहन एवं सहयोग देने के लिये राज्य, भारत सरकार की डिफेंस टेस्टिंग आधारभूत संरचना योजना में प्रतिभाग करेगा। इसके लिये योजना के प्राविधानों के अनुसार आवश्यक भूमि डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के नोड्स में दी जायेगी तथा इसकी स्थापना के लिये योजनानुसार वित्तीय सहायता भी प्रदान की जायेगी।**
प्रस्तर–3.3 (परिभाषाएं) का उप प्रस्तर–2	**3.3 परिभाषाएं** **1. रक्षा तथा एयरोस्पेस उत्पादः** यह निर्धारित करने के लिए कि कोई उत्पाद/तकनीक रक्षा तथा/अथवा एयरोस्पेस की श्रेणी में है, भारत सरकार की किसी भी नीति, योजना अथवा किसी अन्य संबंधित प्रलेखों में सम्मिलित प्राविधानों/परिभाषाओं अथवा विदेशों में अधिकृत समकक्ष प्राविधानों को सन्दर्भित किया जाएगा। रक्षा/एयरोस्पेस इकाई उत्पादों में सामग्री, उपकरण/उपस्कर विनियोजन इकाई उप–संयोजक व उपस्कर समाहित होंगे। **2. रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयांः** रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र की मूल्य–	**3.3 परिभाषाएं** **1. रक्षा तथा एयरोस्पेस उत्पादः** यह निर्धारित करने के लिए कि कोई उत्पाद/तकनीक रक्षा तथा/अथवा एयरोस्पेस की श्रेणी में है, भारत सरकार की किसी भी नीति, योजना अथवा किसी अन्य संबंधित प्रलेखों में सम्मिलित प्राविधानों/ परिभाषाओं अथवा विदेशों में अधिकृत समकक्ष प्राविधानों को सन्दर्भित किया जाएगा। रक्षा/एयरोस्पेस इकाई उत्पादों में सामग्री, उपकरण/उपस्कर विनियोजन इकाई उप–संयोजक व उपस्कर समाहित होंगे। **रक्षा/एयरोस्पेस इकाई उत्पादों में इन उत्पादों के परिवहन हेतु विशिष्ट लॉजिस्टिक्स वाहनों/संयंत्रों को भी सम्मिलित माना जाएगा।** **2. रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाईयांः** रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र की मूल्य–

	श्रृंखला (Value Chain) में उपर्युक्त परिभाषित रक्षा तथा एयरोस्पेस उत्पादों का विनिर्माण करने वाले समस्त आपूर्तिकर्ताओं को इस नीति के अन्तर्गत रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई माना गया है। इस नीति में परिभाषित मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां, एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां, वेण्डर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम. ई.) इकाईयां इस नीति के अधीन रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों के रूप में प्रोत्साहन की पात्र होंगी। किसी भी इकाई में निम्नलिखित में से न्यूनतम एक मापदण्ड पूरा किया जाना अनिवार्य होगा– i. रक्षा/एयरोस्पेस परिक्षेत्र जैसा कि पूर्व में परिभाषित किया गया है, से संबंधित सामग्री/उपस्कर आपूर्ति की गयी हो। ii. रक्षा/एयरोस्पेस क्षेत्र में प्रथम बार कार्य करने वाली इच्छुक स्टार्टअप अथवा एम0एस0एम0ई0 इकाईयों को भी नीति के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य कराए जाने पर निम्न शर्तो के अन्तर्गत विचार किया जाएगाः– (1) आवंटित भूमि का उपयोग कम्पनी द्वारा केवल "राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति (प्रथम संशोधन) 2019" के अन्दर परिभाषित रक्षा एवं	श्रृंखला (Value Chain) में उपर्युक्त परिभाषित रक्षा तथा एयरोस्पेस उत्पादों का विनिर्माण करने वाले समस्त आपूर्तिकर्ताओं को इस नीति के अन्तर्गत रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई माना गया है। इस नीति में परिभाषित मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां, एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां, वेण्डर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयां तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस. एम. ई.) इकाईयां इस नीति के अधीन रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाइयों के रूप में प्रोत्साहन की पात्र होंगी। किसी भी इकाई में निम्नलिखित में से न्यूनतम एक मापदण्ड पूरा किया जाना अनिवार्य होगा– i. रक्षा/एयरोस्पेस परिक्षेत्र जैसा कि पूर्व में परिभाषित किया गया है, से संबंधित सामग्री/उपस्कर आपूर्ति की गयी हो। ii. रक्षा/एयरोस्पेस क्षेत्र में प्रथम बार कार्य करने वाली इच्छुक स्टार्टअप अथवा एम0एस0एम0ई0 इकाईयों को भी नीति के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य कराए जाने पर निम्न शर्तो के अन्तर्गत विचार किया जाएगाः– (1) आवंटित भूमि का उपयोग कम्पनी द्वारा केवल "राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति (प्रथम संशोधन) 2019" के अन्दर परिभाषित रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्र से संबंधित सामग्री/उपस्कर आपूर्ति की

	एयरोस्पेस क्षेत्र से संबंधित सामग्री/उपस्कर आपूर्ति की गयी हो अथवा प्रस्तावित हो जिसका साक्ष्य उपक्रम के शुरू होने पर देना अनिवार्य होगा अन्यथा पट्टा निरस्त कर दिया जाएगा।	गयी हो अथवा प्रस्तावित हो जिसका साक्ष्य उपक्रम के शुरू होने पर देना अनिवार्य होगा अन्यथा पट्टा निरस्त कर दिया जाएगा।
	(2) यदि कोई ऐसी स्टार्टअप अथवा एम0एस0एम0ई नीति के अन्तर्गत उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व कोई अन्य लाभ जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी से छूट, प्राप्त करती हो तो उसके समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी दिए जाने के पश्चात ही ऐसे लाभ प्रदान किए जाए और यदि प्रश्नगत इकाई नीति में परिभाषित रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्र से संबंधित सामग्री/उपस्कर की आपूर्ति करने में विफल रहती है तो दिए गए लाभ को वापस करने के लिए उसकी बैंक गारण्टी को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जाएगा।	(2) यदि कोई ऐसी स्टार्टअप अथवा एम0एस0एम0ई नीति के अन्तर्गत उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व कोई अन्य लाभ जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी से छूट, प्राप्त करती हो तो उसके समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी दिए जाने के पश्चात ही ऐसे लाभ प्रदान किए जाए और यदि प्रश्नगत इकाई नीति में परिभाषित रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्र से संबंधित सामग्री/उपस्कर की आपूर्ति करने में विफल रहती है तो दिए गए लाभ को वापस करने के लिए उसकी बैंक गारण्टी को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जाएगा।
	ii. रक्षा/एयरोस्पेस जैसा कि पूर्व में परिभाषित किया जा चुका है, में वित्तीय अनुदान अथवा आपूर्ति आदेश प्राप्त किया गया हो।	**iii.** रक्षा/एयरोस्पेस जैसा कि पूर्व में परिभाषित किया जा चुका है, में वित्तीय अनुदान अथवा आपूर्ति आदेश प्राप्त किया गया हो।
	iii. रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की प्रोद्भूत (offset) योजना के अन्तर्गत किसी भी विदेशी मूल उपस्कर निर्माता से मेमोरेन्डम ऑफ अन्डर स्टैंडिंग हस्ताक्षरित	**iv.** रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की प्रोद्भूत (offset) योजना के अन्तर्गत किसी भी विदेशी मूल उपस्कर निर्माता से मेमोरेन्डम ऑफ अन्डर स्टैंडिंग हस्ताक्षरित किया गया

	किया गया हो अथवा आपूर्ति आदेश प्राप्त किया हो। iv. सेना, नौसेना, वायुसेना/ पैरामिलेट्री अधिष्ठान, डी.आर. डी. ओ., डी.ओ.ए. अथवा डी.ओ.एस. के लिए संरचना अथवा विकास का कार्य किया हो, v. भारतीय अथवा विदेशी मूल उपस्कर निर्माता के लिए परीक्षण अथवा प्रूफिंग सामग्री उपकरण कलपुर्जे अवयव/संयोजन(Assembly)/ उप–संयोजन(Sub-Assembly)/उपस्कर की आपूर्ति किसी भारतीय /विदेशी रक्षा/एयरोस्पेस परिक्षेत्र जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, में आपूर्ति किया हो।	हो अथवा आपूर्ति आदेश प्राप्त किया हो। **v.** सेना, नौसेना, वायुसेना/ पैरामिलेट्री अधिष्ठान, डी.आर. डी. ओ., डी.ओ.ए. अथवा डी.ओ.एस. के लिए संरचना अथवा विकास का कार्य किया हो, **vi.** भारतीय अथवा विदेशी मूल उपस्कर निर्माता के लिए परीक्षण अथवा प्रूफिंग सामग्री उपकरण कलपुर्जे अवयव/ संयोजन (Assembly) /उप–संयोजन (Sub-Assembly)/उपस्कर की आपूर्ति किसी भारतीय /विदेशी रक्षा/ एयरोस्पेस परिक्षेत्र जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, में आपूर्ति किया हो। **नया उप प्रस्तर–vii** **डिफेंस एवं एयरोस्पेस क्षेत्र की ऐसी नई विनिर्माण इकाईयां जिन्होने रक्षा विनिर्माण के लिए लाईसेन्स प्राप्त कर लिया हो।**
प्रस्तर–3.3 (परिभाषाएं) का उप प्रस्तर–6	6. **सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) इकाइयां :** भारत सरकार द्वारा एम. एस.एम.ई. अधिनियम 2006 के अन्तर्गत एम.एस.एम.ई. हेतु निर्धारित एम.एस.एम.ई परिभाषा का पालन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में समय–समय पर एम.एस.एम.ई की संशोधित परिभाषा स्वतः संशोधित मानी जायेगी । एक एम.एस.एम.ई. रक्षा तथा एयरोस्पेस आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करेगा, यदि विनिर्माण के परिणाम स्वरूप प्राप्त कारोबार (Turnover) का	6. **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) इकाइयां :** भारत सरकार द्वारा एम. एस. एम.ई. अधिनियम 2006 के अन्तर्गत एम.एस.एम.ई. हेतु निर्धारित एम. एस.एम.ई परिभाषा का पालन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में समय–समय पर एम.एस.एम.ई की संशोधित परिभाषा स्वतः संशोधित मानी जायेगी । एक एम.एस.एम.ई. रक्षा तथा एयरोस्पेस आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करेगा, यदि विनिर्माण के परिणाम स्वरूप प्राप्त कारोबार (Turnover) का न्यूनतम 50 प्रतिशत अंश रक्षा तथा एयरोस्पेस

	न्यूनतम 50 प्रतिशत् अंश रक्षा तथा एयरोस्पेस मूल्य श्रृंखला में मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई या एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई या वेण्डर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई या रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई/ **ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड** (OFB) के लिए आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्जित किया गया हो ।	मूल्य श्रृंखला में मेगा एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई या एंकर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई या वेण्डर रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई या रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के लिए आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्जित किया गया हो।
प्रस्तर–3.3 (परिभाषाएं) का उप प्रस्तर–7	सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाईयां (डिफेन्स पब्लिक सेक्टर यूनिट्स)/ **ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड** (OFB): रक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम।	सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाईयां: (डिफेन्स पब्लिक सेक्टर यूनिट्स): रक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम।
प्रस्तर–5 (डिफेन्स कॉरिडोर में निवेश करने वाली इकाइयों हेतु प्रोत्साहन) का उप प्रस्तर–5.5	पूंजीगत उपादान रक्षा/एयरोस्पेस के परिक्षेत्र में नई एंकर इकाइयों के मामलों में पश्चसिरा (Back ended) पूंजीगत उपादान 10 प्रतिशत की दर से रू. 10.00 करोड की सीमा तक और नई वेण्डर/एम0एस0एम0ई0 इकाईयों को 5 प्रतिशत की दर से 5 करोड रूपये की सीमा तक की दर से पश्चसिरा (Back ended) पूंजीगत उपादान अनुमन्य होगा (जिसकी गणना भूमि को छोड़कर अर्हकारी स्थावर आस्तियों के आधार पर की जायेगी)। यह व्यवसायिक उत्पादन शुरू होने पर देय होगा। बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र में स्थापित होने वाली रक्षा/एयरोस्पेस इकाइयों को 15 प्रतिशत या 15 करोड़, जो भी कम हो, तथा वेण्डर/एम.एस.एम. ई. इकाईयों को 7.50 प्रतिशत या 7.50 करोड़ रूपये पश्चसिरा पूंजीगत उपादान, जो भी कम हो, अनुमन्य होगा।	पूंजीगत उपादान **रक्षा/एयरोस्पेस के परिक्षेत्र में सभी रक्षा एवं एयरोस्पेस विनिर्माण इकाइयों के मामलों में पश्चसिरा (Back ended) पूँजीगत उपादान 7 प्रतिशत की सीमा (अधिकतम रू. 500 करोड़) तक अनुमन्य होगा (जिसकी गणना भूमि के मूल्य को छोड़कर अर्हकारी स्थावर आस्तियों के आधार पर की जायेगी)।** **बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र में स्थापित होने वाली सभी रक्षा एवं एयरोस्पेस विनिर्माण इकाइयों के मामलों में पश्चसिरा (Back ended) पूँजीगत उपादान 10 प्रतिशत की सीमा (अधिकतम रू. 500 करोड़) तक अनुमन्य होगा (जिसकी गणना भूमि के मूल्य को छोड़कर अर्हकारी स्थावर आस्तियों के आधार पर की जायेगी)।** **विनिर्माण इकाईयों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दिए जाने वाले पूंजीगत उपादान की राशि रू0 50 करोड़ से**

		अधिक नहीं होगी। ऐसे प्रकरणों में जहां देय उपादान की राशि रू. 50 करोड़ से अधिक है, उन्हें रू0 50 करोड़ से ऊपर की उपादान धनराशि अगले वित्तीय वर्षों में किश्तों में दी जाएगी। 5.5(अ) इस नीति के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी की इकाईयों के लिए प्रस्तावित पात्र निवेश अवधि निम्नानुसार होगीः– i. मेगा एंकर इकाईयों के प्रकरण में निवेश प्रारम्भ होने की तिथि, जो नीति की प्रभावी अवधि के भीतर हो, से 07 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि, जो भी पहले हो। ii. एंकर इकाईयों के प्रकरण में निवेश प्रारम्भ होने की तिथि, जो नीति की प्रभावी अवधि के भीतर हो, से 05 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि, जो भी पहले हो। iii. अन्य रक्षा/एयरोस्पेस इकाईयां (यथा एम0एस0एम0ई0/वेण्डर इकाईयों/स्टार्ट–अप्स) के प्रकरण में निवेश प्रारम्भ होने की तिथि, नीति की प्रभावी अवधि के भीतर हो से 04 वर्ष की अवधि अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि, जो भी पहले हो। 5.5(ब) औद्योगिक उपक्रमों को यदि अपनी परियोजनाओं को विभिन्न चरणों में कियान्वित करना है तो इसका प्रस्ताव उन्हे डी0पी0आर0 में आवेदन प्रस्तुत करने के समय इंगित करना होगा। इसके अतिरिक्त डी0पी0आर0 में इंगित चरण उपरिलिखित पात्र निवेश

		अवधि में पूर्ण किए जाने होंगे। ऐसे प्रकरणों में प्रत्येक चरण के पूर्ण होने तथा उस चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने पर ही उस चरण के अनुमन्य उपादान का संवितरण किया जाएगा।
प्रस्तर–11 (व्यवसाय में सहजता) का उप प्रस्तर–11.5	निम्नलिखित गुणवत्ता युक्त Infrastructure सुविधायें यथा–132 के.वी.ए. स्तर की विद्युत प्रणाली तंत्र जलापूर्ति, सड़क से कनेक्टीविटी तथा भूमि के डिमार्केशन हेतु पिलरों के साथ प्रदान की जायेगी।	**डिफेन्स नोड के अन्तर्गत अधिग्रहीत नवीन विकसित औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत प्रणाली तंत्र, जलापूर्ति, सीवर एवं सड़क की सुविधाएं दी जायेंगी।** **डिफेन्स नोड के अन्तर्गत अधिग्रहीत नवीन विकसित औद्योगिक क्षेत्र की भूमि के डिमार्केशन एवं सुरक्षा हेतु परिधीय (Peripheral) बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किया जायेगा।**
प्रस्तर–12.3 के नोट 1	सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाईयों/**आर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (ओ.एफ.बी.)** को अपनी सुविधाओं (परिक्षण सुविधाएं, प्रयोगशालाएं, सहायक सुविधाएं एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु सुविधाएं यथा–कर्मियों हेतु आवास इत्यादि) के निर्माण हेतु पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की जाएगी।	सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाईयों को अपनी सुविधाओं (परिक्षण सुविधाएं, प्रयोगशालाएं, सहायक सुविधाएं एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु सुविधाएं यथा–कर्मियों हेतु आवास इत्यादि) के निर्माण हेतु पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की जाएगी।

2– अधिसूचना निर्गत होने की तिथि के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन में आने वाली इकाईयों को ही पूंजीगत उपादान अनुमन्य होगा।

3– नीति के जिन–जिन प्रस्तरों में आर्डिनेन्स फैक्ट्री बोर्ड (OFB) का उल्लेख है उन्हें उन प्रस्तरों से विलोपित समझा जाएगा।

4– उन स्थानों पर जहां हवाई पट्टी/हवाई अड्डा स्थित है अथवा नए हवाई अड्डे का विकास प्रस्तावित है, के रेगुलेटर क्षेत्र/सीमावर्ती क्षेत्र (जिसे भारत सरकार के राजपत्र पर दिनांक 30 सितम्बर, 2015 को अधिसूचित General Statutory Rules 751 E में परिभाषित किया गया है) में निर्माण अथवा विकास कार्य नियामक संस्थाओं से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात किया जाएगा।

5– अधिसूचना संख्या–2792/77–6–18–एल0सी0–03/18 दिनांक 16.07.2018 निर्गत तथा इसके कम में कमशः अधिसूचना संख्या–976/77–6–2019–एल0सी0–03/2018 दिनांक 05.12.2019 तथा अधिसूचना संख्या–02/2021/126/77–6–21–एल0सी0–03/2018टी.सी.–1

दिनांक 11.01.2021 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 (यथासंशोधित) की शेष शर्तें एवं प्राविधान यथावत रहेंगे।

अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः36/2022/2090/77–6–2022–एल0सी0–03/18, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत नीति को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
9. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।
10. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
अनु सचिव।